रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 04 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 13, 1945 शक संवत्) [संख्या 44

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	653–658	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1497–1542	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	359–366	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	139–154	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	623–631	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग–3

अधिसूचना

6 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 1148/2023-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग दादरी-भवाना प्राकृतिक गैस पाइपलाईन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति के लिए किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
वाल्व स्टेशन-1, ग्राम-सिरसल दरकावदा, तहसील-बड़ौत, जिला-बागपत, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	खसरा संख्या-1733, संजय पुत्र राय सिंह और अन्य।
पश्चिम में	खसरा संख्या-1733, संजय पुत्र राय सिंह और अन्य।
उत्तर में	खसरा संख्या-1769, मेटलड़ रोड (पक्की सड़क)।
दक्षिण में	खसरा संख्या-1733, संजय पुत्र राय सिंह और अन्य।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 1148/2023-CX-3,** dated September 6, 2023 for general information :

NOTIFICATION

September 6, 2023

No. 1148/2023-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for Gas Supplying to the customers of Uttar Pradesh State by Dadri-Bhawana Natural Gas pipeline :

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. XIX of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the said Act and to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

	Name and specifications of the prohibited place.
	Valve-Station-1, Village-Sirsal Darkawada, Tehsil-Baraut, District-Bhagpat, Uttar Pradesh.
In East	Khasra No. 1733, Sanjay S/o Ray Singh and Others.
In West	Khasra No. 1733, Sanjay S/o Ray Singh and Others.
In North	Khasra No. 1769, Metalled Road (Pakki Sadak).
In South	Khasra No. 1733, Sanjay S/o Ray Singh and Others.

By order,
SANJAY PRASAD,
Principal Secretary.

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग–3

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 1215/2023-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग फतेहाबाद, आगरा, आगरा दक्षिण, फिरोजाबाद महानगर, एत्मादपुर, बरहन (आगरा) और नारखी, फिरोजाबाद को विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है,

और चूँकि उसके सम्बन्ध में किसी सूचना से, या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत का राजपत्र, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (2) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को

पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रेतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
400 / 200 / 132 के0 वी0 उपकेन्द्र सोफीपुर, जिला-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	गाटा संख्या-12, श्रीकृष्ण आदि।
पश्चिम में	सीमा ग्राम–दतौंजी।
उत्तर में	गाटा संख्या-221, वन विभाग की भूमि।
दक्षिण में	गाटा संख्या-12, केशव आदि।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 1215/2023-CX-3,** dated October 12, 2023 for general information :

NOTIFICATION

October 12, 2023

No. 1215/2023-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for Power Transmission to Fatehabad, Agra, Agra South, Firozabad Metropolitan, Etmadpur, Barhan (Agra) and Narkhi Firozabad.

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has vide Notification no. S.O. 1285, dated 04th May, 1963, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-Clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. XIX of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
400/200/132 KV, Sub-Station Sofipur, District-Firozabad, Uttar Pradesh.	
In East	Gata No. 12, Shreekrishna *etc*.
In West	Border of Village-Dataunjee.
In North	Gata No. 221, Land of Forest Department.
In South	Gata No. 12, Keshav *etc*.

By order,
SANJAY PRASAD,
Principal Secretary.

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

5 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 726/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री अरविन्द कुमार मिश्र-1, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है :–

क्रमांक	**अवकाश की अवधि तथा प्रकृति**
1	**2**
1	दिनांक 30-05-2022 से 31-05-2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 22-08-2022 से 23-08-2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 15-09-2022 से 17-09-2022 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
4	दिनांक 26-09-2022 से 27-09-2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
5	दिनांक 28-11-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
6	दिनांक 12-12-2022 से 14-12-2022 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
7	दिनांक 22-12-2022 से 23-12-2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
8	दिनांक 30-01-2023 से 31-01-2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
9	दिनांक 09-02-2023 से 10-02-2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
10	दिनांक 13-02-2023 से 15-02-2023 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
11	दिनांक 20-02-2023 से 21-02-2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
12	दिनांक 23-02-2023 से 24-02-2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
13	दिनांक 01-03-2023 से 03-03-2023 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
14	दिनांक 27-03-2023 से 29-03-2023 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 842/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती सरोज यादव, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैः–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 05-05-2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 08-05-2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 11-05-2023 से दिनांक 12-05-2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
4	दिनांक 22-05-2023 से दिनांक 26-05-2023 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 894/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैः–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 09-11-2022 से दिनांक 10-11-2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 28-11-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 09-12-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
4	दिनांक 19-12-2022 से दिनांक 23-12-2022 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 895/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैः–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 20-03-2023 से दिनांक 24-03-2023 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 27-03-2023 से दिनांक 29-03-2023 तक 03 (दिन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 31-03-2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 896/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री शमीम अहमद, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैः–

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 11-10-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 31-10-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 15-11-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
4	दिनांक 17-11-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
5	दिनांक 21-12-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग 1–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 13, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

July 25, 2023

No. 1883/Admin. (Services)/2023–In exercise of the powers conferred by Rule 27-A of U. P. Higher Judicial Service Rules, 1975 (as amended) and all other powers enabling in this behalf, the High Court is pleased to grant Super Time Pay Scale of Rs. 70,290-1,540-76,450/- as per G.O. No. 3195/II-4-2003-45 (12)/1991 T.C., dated 04.08.2003, read with G.O. No. 793/II-4-2010-45(12)/91 T.C., VI dated 30.04.2010 and No.1122/II-4-2011-45(12)/91 T.C.-6 dated 18.05.2011 to the following officers of U. P. Higher Judicial Service, from the date mentioned against their names, subject to any Writ Petition pending in High Court/Hon'ble Apex Court in this regard and also subject to final determination of seniority of officers, in case it is not finalized:

Sl. No.	Name of the Officer	Date of grant of Super Time Pay Scale	Vacancy caused by
1	2	3	4
	(S/Sri)–		
1	Rananjay Kumar Verma 10.12.1972	01/02/2021	Due to retirement of Syed Waiz Mian on 31.01.2021.
2	Sanjay Kumar-VII 19.12.1973	01/03/2021	Due to retirement of Sri Ashok Kumar-VIII on 28.02.2021.

1	2	3	4
	(S/Sri)–		
3	Durg Narain Singh 01.04.1968	01/03/2021	Due to retirement of Sri Santosh Kumar Srivastava on 28.02.2021.
4	Malkhan Singh 22.07.1968	25/03/2021	Due to elevation of Sri Syed Aftab Husain Rizvi to Bench on 25.03.2021.
5	Amit Pal Singh 23.02.1968	01/04/2021	Due to retirement of Shri Ram Babu Sharma on 31.03.2021.
6	Praveen Kumar Jain 21.05.1961 (*Retired on* 31.05.2021)	01/05/2021	Due to retirement of Smt. Jai Shree Ahuja on 30.04.2021.
7	Gurpreet Singh Bawa 14.11.1977	01/05/2021	Due to retirement of Shri Shyam Jeet Yadav on 30.04.2021.
8	Ayaz Ahmad 18.01.1963 (*Retired on* 31.01.2023)	01/06/2021	Consequent to release of vacancy due to retirement of Shri Praveen Kumar Jain on 31.05.2021
9	Sushil Kumar Shashi 25.05.1974	01/07/2021	Due to retirement of Shri Mahtab Ahmad on 30.06.2021.
10	Dharmendra Kumar Pandey 25 01.1976	01/08/2021	Due to retirement of Shri Umesh Kumar Sharma on 31.07.2021.
11	Mahendra Prasad Chaudhary 07.07 1965	01/08/2021	Due to retirement of Shri Om Prakash Tripathi on 31.07.2021.
12	Ravindra Singh 14.11.1972	01/08/2021	Due to retirement of Shri Vijendra Singh on 31.07.2021.
13	Rakesh Kumar Tripathi 11.01.1974	01/08/2021	Due to retirement of Shri Mridulesh Kumar Singh on 31.07.2021.
14	Smt. Anita Raj 01.05.1965	01/10/2021	Due to retirement of Shri Rajiv Sharma on 30.09.2021.
15	Rohit Sinha 01.07.1975	01/10/2021	Due to retirement of Shri Kaushalendra Yadav on 30.09.2021.
16	Narendra Kumar Jha 28.07.1975	01/10/2021	Due to retirement of Shri Alok Kumar Trivedi on 30.09.2021.
17	Ram Kripal 05 07.1963	01/11/2021	Due to retirement of Shri Sarvesh Kumar on 31.10.2021.

1	2	3	4
	(S/Sri)–		
18	Rakesh Dhar Dubey 31.08.1975	01/11/2021	Due to retirement of Shri Raghwendra on 31.10.2021.
19	Dr. Vidushi Singh 29.11.1966	01/12/2021	Due to retirement of Shri Amar Jeet Tripathi on 30.11.2021.
20	Ajay Kumar Singh-I 09.02.1977	01/01/2022	Due to retirement of Shri Umesh Chandra Sharma on 31.12.2021.
21	Manoj Kumar Singh Gautam 01.11.1973	01/02/2022	Due to retirement of Shri Kautilya Gaur on 31.01.2022.
22	Adil Aftab Ahmad 02.08.1963	01/02/2022	Due to retirement of Shri Surendra Prasad (Mishra) on 31.01.2022.
23	Krishna Pal Singh 02.08.1964	01/02/2022	Due to retirement of Shri Rakesh Kumar-III on 31.01.2022.
24	Mayank Chauhan 27.10.1975	01/03/2022	Due to retirement of Shri Sanjai Khare on 28.02.2022.
25	Akhilesh Dubey 25.07 1966	01/03/2022	Due to retirement of Shri Harkesh Kumar on 28.02.2022.
26	Vivek 02.09.1976	01/05/2022	Due to retirement of Shri Atul Kumar Gupta on 30.04.2022.
27	Sanjay Kumar-I 17.09.1962 (*Retired on* 30.09.2022)	01/05/2022	Due to retirement of Shri Ashok Kumar Singh-III on 30.04.2022.
28	Smt. Reeta Kaushik 01.07 1968	01/05/2022	Due to retirement of Shri Veer Nayak Singh on 30.04.2022.
29	Diwakar Prasad Chaturvedi 08.07.1966	01/06/2022	Due to retirement of Smt. Jyotsna Sharma on 31.05.2022.
30	Ravindra Kumar-IV 26.11.1971	01/06/2022	Due to retirement of Shri Gajendra Kumar on 31.05.2022.
31	Syed Sarwar Husain Rizvi 20.06.1964	01/06/2022	Due to retirement of Shri Ram Pal Singh-II on 31.05.2022.
32	Paras Nath Rai 07.08.1965	01/06/2022	Due to retirement of Shri Shiv Kumar-I on 31.05.2022.
33	Prakash Nath Srivastava 31.03.1965	01/06/2022	Due to retirement of Shri Kali Charan-II on 31.05.2022.
34	Sanjay Singh-I 01.01.1977	01/07/2022	Due to retirement of Smt. Renu Agarwal on 30.06.2022.
35	Dhanendra Pratap Singh 12.07.1974	01/07/2022	Due to retirement of Shri Sushil Kumar Rastogi on 30.06.2022.
36	Ram Nagina Yadav 15.07.1966	01/07/2022	Due to retirement of Shri Jyoti Kumar Tripathi on 30.06.2022.
37	Sanjeev Kumar Tyagi 11.03.1970	01/08/2022	Due to retirement of Smt. Sangeeta Srivastava on 31.07.2022.

1	2	3	4
	(S/Sri)–		
38	Dr. Bal Mukund 01.12.1965	01/08/2022	Due to retirement of Shri Avinash Chandra Tripathi on 31.07.2022.
39	Birendra Kumar Singh 24.08.1966	15/08/2022	Due to elevation of Shri Mohd. Azhar Husain Idrisi on 15.08.2022.
40	Ashok Kumar Singh-V 05.07.1963	15/08/2022	Due to elevation of Shri Ram Manohar Narayan Mishra on 15.08.2022.
41	Rajiv Kamal Pandey 01.02.1974	15/08/2022	Due to elevation of Shri Mayank Kumar Jain on 15.08.2022.
42	Smt. Alpana 16.10.1966	15/08/2022	Due to elevation of Shri Surendra Singh-I on 15.08.2022.
43	Mukesh Kumar Singhal 15.08.1964	15/08/2022	Due to elevation of Shri Nalin Kumar Srivastava on 15.08.2022.
44	Shesh Mani 01.07.1967	01/09/2022	Due to retirement of Shri Pramod Kumar Sharma on 31.08.2022.
45	Ajay Kumar Srivastava-III 02.09.1973	01/10/2022	Due to retirement of Shri Sudhir Kumar-III on 30.09.2022.
46	Shamsul Haque 14.06.1967	01/10/2022	Due to retirement of Dr. Deepak Swaroop Saxena on 30.09.2022.
47	Rajendra Prasad Srivastava-III 01.04.1965	01/11/2022	Due to retirement of Shri Mukesh Mishra on 31.10.2022.
48	Rupesh Ranjan 11.09.1971	20/12/2022	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26.09.2003.
49	Arun Kumar Pathak 30.08.1965	01/01/2023	Due to retirement of Shri Harish Tripathi on 31.12.2022.
50	Amar Jeet Verma 01.07.1963	19/01/2023	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26.09.2003.
51	Ashish Jain 10.10.1977	19/01/2023	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26.09.2003.
52	Indra Deo Dubey 10.09.1963	01/04/2023	Due to retirement of Shri Jitendra Kumar Pandey on 31.03.2023.
53	Badri Vishal Pandey 15.05.1975	01/05/2023	Due to retirement of Shri Narendra Bahadur Yadav on 30.04.2023.

No. 1884/Admin.(Services)/2023–Smt. Siddiqui Saima Jarrar Alam, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Sultanpur *vice* Sri Kshitish Pandey.

No. 1885/Admin. (Services)/2023–Sri Kshitish Pandey, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Sultanpur to be Civil Judge, Senior Division, Kadipur, Sultanpur in the court shifted from district headquarter Sultanpur (out of two courts created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016).

July 28, 2023

No. 1886/Admin. (Services)/2023–Sri Arun Singh Rathour, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Maharajganj is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Maharajganj *vice* Sushri Bushra Noor.

No. 1887/Admin.(Services)/2023–Sushri Bushra Noor, Judicial Magistrate, First Class, Maharajganj to be Civil Judge (Junior Division), Maharajganj *vice* Smt. Aditi Jain.

No. 1888/Admin. (Services)/2023–Smt. Aditi Jain, Civil Judge (Junior Division), Maharajganj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lalitpur.

No. 1889/Admin. (Services)/2023–Smt. Aditi Malhotra, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Nichlaul (Maharajganj) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah.

No. 1890/Admin.(Services)/2023–Sushri Shivangni Sonkar, Additional Civil Judge (Junior Division), Bulandshahar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bulandshahar for trying cases of crime against women.

No. 1891/Admin. (Services)/2023–Smt. Sneha Singh-I, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bulandshahar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ghaziabad.

No. 1892/Admin. (Services)/2023–Smt. Nisha Ali, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Shahganj (Jaunpur) to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Auraiya for trying cases of crime against women *vice* Sri Praveen Singh.

No. 1893/Admin. (Services)/2023–Sri Praveen Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Auraiya to be Additional Civil Judge (Junior Division), Auraiya.

No. 1894/Admin.(Services)/2023–Sushri Sonam Sharma, Additional Civil Judge (Junior Division), Barabanki to be Civil Judge (Junior Division), Ram Sanehi Ghat sitting at Barabanki *vice* Sushri Saba Fatima.

No. 1895/Admin. (Services)/2023–Sushri Saba Fatima, Civil Judge (Junior Division), Ram Sanehi Ghat sitting at Barabanki is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Barabanki *vice* Sushri Shipra Dubey.

No. 1896/Admin.(Services)/2023–Sushri Shipra Dubey, Judicial Magistrate, First Class, Barabanki is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mainpuri *vice* Sushri Rachna Rawat.

No. 1897/Admin.(Services)/2023–Sushri Rachna Rawat, Judicial Magistrate, First Class, Mainpuri to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mainpuri.

July 31, 2023

No. 1898/Admin.(Services)/2023–Smt. Sarvottama Nagesh Sharma, Civil Judge, Senior Division, Shrawasti at Bhinga to be Chief Judicial Magistrate, Shrawasti at Bhinga *vice* Sri Anil Kumar-XII.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Shrawasti at Bhinga.

No. 1899/Admin.(Services)/2023–Sri Anil Kumar-XII, Chief Judicial Magistrate, Shrawasti at Bhinga to be Chief Judicial Magistrate, Mau *vice* Smt. Sweta Choudhary.

No. 1900/Admin. (Services)/2023–Smt. Sweta Choudhary, Chief Judicial Magistrate, Mau to be Civil Judge, Senior Division, Mau *vice* Sri Kuwar Mitresh Singh Kushwaha.

No. 1901/Admin. (Services)/2023–Sri Kuwar Mitresh Singh Kushwaha, Civil Judge, Senior Division, Mau to be Additional Civil Judge, Senior Division, Mau.

No. 1902/Admin. (Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Sandeepa Yadav, Additional Principal Judge, Family Court, Azamgarh till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1903/Admin. (Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Jai Prakash Tiwari, District & Sessions Judge, Maharajganj till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1904/Admin. (Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Tarannum Khan, Additional Principal Judge, Family Court, Pilibhit till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1905/Admin. (Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Vishnu Kumar Sharma, District & Sessions Judge, Chitrakoot (*w.e.f.* 01.08.2023) till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1906/Admin. (Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Anupam Kumar, District & Sessions Judge, Etah (*w.e.f.* 01.08.2023) till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

August 01, 2023

No. 1907/Admin.(Services)/2023–Sri Mohinder Kumar, Additional District & Sessions Judge, Ayodhya (Faizabad) to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ayodhya (Faizabad) *vice* Sri Amit Kumar Pande.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ayodhya (Faizabad) against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1908/Admin.(Services)/2023–Sri Amit Kumar Pande, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ayodhya (Faizabad) to be Additional District & Sessions Judge, Ayodhya (Faizabad).

No. 1909/Admin.(Services)/2023–Sri Chandragupta, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kanpur Nagar in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 in the vacant court.

No. 1910/Admin. (Services)/2023–Sri Anil Kumar Kharwar, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Basti *vice* Smt. Zaiba Majid.

He is also appointed U/s 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Basti against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1911/Admin. (Services)/2023–Smt. Zaiba Majid, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Basti.

No. 1912/Admin. (Services)/2023–Sri Avinash Chandra Mishra, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Basti for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Sheo Chand.

No. 1913/Admin. (Services)/2023–Sri Sheo Chand, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Basti.

No. 1914/Admin. (Services)/2023–Smt. Meenu Sharma, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Baghpat.

No. 1915/Admin. (Services)/2023–Smt. Shazia Nazar Zaidi, Additional District & Sessions Judge, Baghpat to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Baghpat for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Smt. Vijay Raje Sisodia.

No. 1916/Admin. (Services)/2023–Smt. Vijay Raje Sisodia, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Baghpat to be Additional District & Sessions Judge, Baghpat.

No. 1917/Admin. (Services)/2023–Sri Durgesh, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

No. 1918/Admin.(Services)/2023–Sushri Suman Tiwari, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar to be Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar *vice* Sri Sunil Kumar Tripathi.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bulandshahar.

No. 1919/Admin. (Services)/2023–Sri Sunil Kumar Tripathi, Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar to be Civil Judge, Senior Division, Bulandshahar *vice* Sushri Priti Chaudhary.

No. 1920/Admin. (Services)/2023–Sushri Priti Chaudhary, Civil Judge, Senior Division, Bulandshahar to be Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar *vice* Smt. Sudha.

No. 1921/Admin. (Services)/2023–Smt. Sudha, Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar to be Chief Judicial Magistrate, Etah *vice* Smt. Kamayani Dubey.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Etah.

No. 1922/Admin.(Services)/2023–Smt. Kamayani Dubey, Chief Judicial Magistrate, Etah to be Civil Judge, Senior Division, Etah in the vacant court.

No. 1923/Admin. (Services)/2023–Sri Ambareesh Tripathi, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Firozabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur *vice* Sri Shobit Bansal.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Rampur.

No. 1924/Admin. (Services)/2023–Sri Shobit Bansal, Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur

August 02, 2023

No. 1925/Admin. (Services)/2023–Sri Naresh Kumar Diwakar, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh *vice* Sri Sandeep.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Aligarh.

No. 1926/Admin. (Services)/2023–Sri Sandeep, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Civil Judge, Senior Division, Aligarh *vice* Sri Aishwarya Pratap Singh.

No. 1927/Admin.(Services)/2023–Sri Aishwarya Pratap Singh, Civil Judge (Senior Division), Aligarh to be Civil Judge, Senior Division, Atrauli, Aligarh in thé court shifted from district headquarter Aligarh (out of two courts created vide G. O. No. 10/2016/870/ Saat-Nyay-2-2016-85G/ 2012, dated 06.07.2016).

No. 1928/Admin. (Services)/2023–Dr. Babbu Sarang, District & Sessions Judge, Aligarh to be District & Sessions Judge, Banda.

No. 1929/Admin.(Services)/2023–Smt. Kamlesh Kuchhal, District & Sessions Judge, Banda to be District & Sessions Judge, Sambhal at Chandausi.

No. 1930/Admin. (Services)/2023–Sri Anil Kumar-XIII, District & Sessions Judge, Sambhal at Chandausi to be District & Sessions Judge, Shamli at Kairana.

No. 1931/Admin. (Services)/2023–Sri Griesh Kumar Vaish, District & Sessions Judge, Shamli at Kairana to be District & Sessions Judge, Auraiya.

No. 1932Admin.(Services)/2023–Sri Anil Kumar Verma-I, District & Sessions Judge, Auraiya to be District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar.

No. 1933/Admin. (Services)/2023–Sri Chawan Prakash, District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be District & Sessions Judge, Etawah.

No. 1934/Admin. (Services)/2023–Sri Vinai Kumar Dwivedi, District & Sessions Judge, Etawah to be District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 1935/Admin. (Services)/2023–Sri Saket Bihari 'Deepak', Presiding Officer, Commercial Court, Gorakhpur to be District & Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur.

No. 1936/Admin. (Services)/2023–Sri Jitendra Kumar Sinha, District & Sessions Judge, Ghaziabad to be District & Sessions Judge, Pilibhit.

No. 1937/Admin. (Services)/2023–Sri Sudhir Kumar-V, District & Sessions Judge, Pilibhit to be District & Sessions Judge, Mainpuri.

No. 1938/Admin. (Services)/2023–Sri Anil Kumar-X, District & Sessions Judge, Mainpuri to be District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1939/Admin.(Services)/2023–Sri Devendra Singh-I, District & Sessions Judge, Mahoba to be District & Sessions Judge, Deoria.

No. 1940/Admin.(Services)/2023–Sri Jai Prakash Yadav, District & Sessions Judge, Deoria to be District & Sessions Judge, Mahoba.

No. 1941/Admin. (Services)/2023–Sri Ram Sulin Singh, Presiding Officer, Commercial Court, Varanasi to be District & Sessions Judge, Ambedkarnagar at Akbarpur.

No. 1942/Admin. (Services)/2023–Sri Ashwini Kumar Tripathi, District & Sessions Judge, Farrukhabad to be District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1943/Admin. (Services)/2023–Sri Vinai Kumar-III, Presiding Officer, Commercial Court, Agra to be District & Sessions Judge, Farrukhabad.

No. 1944/Admin. (Services)/2023–Sri Padam Narain Mishra, District & Sessions Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 1945/Admin. (Services)/2023–Sri Zafeer Ahmad, District & Sessions Judge, Jhansi to be District & Sessions Judge, Amroha.

No. 1946/Admin. (Services)/2023–Sri Sanjiv Kumar, District & Sessions Judge, Amroha to be District & Sessions Judge, Aligarh.

August 04, 2023

No. 1947/Admin.(Services)/2023–Smt. Sucheta Chaurasia, Additional Chief Judicial Magistrate, Banda to be Additional Chief Judicial Magistrate (Central Railway), Banda in the vacant court.

No. 1948/Admin. (Services)/2023–Sri Bhagwan Das Gupta, Chief Judicial Magistrate, Banda is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Banda.

August 08, 2023

No. 1949/Admin. (Services)/2023–Pursuant to Government O. M. No. 606/II-4-2023 dated 07.08.2023, Sri Anil Kumar Vashistha, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mau to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Aligarh.

No. 1950/Admin. (Services)/2023–The name "Sri Vinai Kumar-III" mentioned in the Court's notification no. 1943/Admin. (Services)/2023 dated 02.08.2023 be read as "Sri Vinay Kumar-III".

No. 1951/Admin. (Services)/2023–Pursuant to Government Notification No. U.O.85/VI-Po.-9-23-167G/09-Nyay-2 dated 05.08.2023, Smt. Neetu Pathak, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed/posted as Special Judge, Anti-corruption, C.B.I., Court No. 3, Ghaziabad.

No. 1952/Admin. (Services)/2023–Sri Niraj Gautam, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1953/Admin. (Services)/2023–Pursuant to Government Notification No. U. O.85/VI-Po.-9-23-167G/09-Nyay-2 dated 05.08.2023, Sri Ravindra Kumar Dwivedi, Additional District & Sessions Judge, Lucknow is appointed/posted as Special Judge, Anti-corruption, C.B.I. (Central), Lucknow.

No. 1954/Admin. (Services)/2023–Smt. Sonica Chaudhary, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Sri Premendra Kumar.

No. 1955/Admin. (Services)/2023–Pursuant to Government Notification No. U. O.77/VI-Po.-9-23-167G/09-Nyay-2 dated 05.08.2023, Sri Premendra Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra is appointed/posted as Special Judge, Anti-corruption, C.B.I., Ghaziabad.

No. 1956/Admin.(Services)/2023–On repatriation to regular line, Sri Apoorv Singh, Chief Investigation Officer in the Office of Lokayukt, U.P., Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Agra *w.e.f.* 14.08.2023.

August 10, 2023

No. 1957/Admin. (Services)/2023–Sri Akash Verma, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Varanasi to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Varanasi in the vacant court.

No. 1958/Admin. (Services)/2023–Smt. Anisha, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Bijnor to be Additional Chief Judicial Magistrate, Bijnor *vice* Sri Pappu Kumar Singh.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bijnor.

No. 1959/Admin. (Services)/2023–Sri Pappu Kumar Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Bijnor to be Civil Judge, Senior Division, Bijnor *vice* Sri Abhinav Yadav-I.

No. 1960/Admin. (Services)/2023–Sri Abhinav Yadav-I, Civil Judge, Senior Division, Bijnor to be Chief Judicial Magistrate, Bijnor *vice* Sri Shiva Nand Gupta.

No. 1961/Admin. (Services)/2023–Sri Shiva Nand Gupta, Chief Judicial Magistrate, Bijnor to be Judge Small Causes Court, Bijnor *vice* Sri Sharib Ali.

No. 1962/Admin. (Services)/2023–Sri Sharib Ali, Judge Small Causes Court, Bijnor to be Civil Judge, Senior Division, Shrawasti at Bhinga in the vacant court.

No. 1963/Admin.(Services)/2023–Sushri Sushama, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda to be Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda *vice* Smt. Apeksha Singh.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Gonda.

No. 1964/Admin.(Services)/2023–Smt. Apeksha Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda to be Civil Judge, Senior Division, Gonda *vice* Sri Vishv Jeet Singh.

No. 1965/Admin. (Services)/2023–Sri Vishv Jeet Singh, Civil Judge, Senior Division, Gonda to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Shrawasti at Bhinga in the vacant court.

August 12, 2023

No. 1966/Admin. (Services)/2023–Sri Shobit Bansal, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur to be Additional Chief Judicial Magistrate Rampur *vice* Sri Ambareesh Tripathi.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Rampur.

No. 1967/Admin.(Services)/2023–Sri Ambareesh Tripathi, Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur to be Civil Judge, Senior Division, Rampur *vice* Sri Pankaj Kumar-I.

No. 1968/Admin. (Services)/2023–Sri Pankaj Kumar-I, Civil Judge, Senior Division, Rampur to be Special Chief Judicial Magistrate, Agra *vice* Sushri Mukta Tyagi.

No. 1969/Admin.(Services)/2023–Sushri Mukta Tyagi, Special Chief Judicial Magistrate, Agra to be Additional Chief Judicial Magistrate, Agra *vice* Sri Sumit Chaudhary.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Agra.

No. 1970/Admin. (Services)/2023–Sri Sumit Chaudhary, Additional Chief Judicial Magistrate, Agra to Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Agra.

No. 1971/Admin.(Services)/2023–Sri Gyanendra Rao, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra *vice* Sri Dinesh Tiwari.

He is also appointed U/s 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Agra against the special court created for trying under the said Act.

No. 1972/Admin. (Services)/2023–Sri Dinesh Tiwari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Agra *vice* Sri Ravi Karan Singh.

He is also appointed U/s 5(2) of U. P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Agra against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1973/Admin. (Services)/2023–Sri Ravi Karan Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ravi Kant-III.

No. 1974/Admin. (Services)/2023–Sri Ravi Kant-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 1975/Admin. (Services)/2023–Sri Vinod Kumar Barnwal, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Rampur.

No. 1976/Admin. (Services)/2023–Sri Sanjeev Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Special Judge, Rampur for trying cases U/s 14 of the Scheduled. Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Prabhu Narayan Pandey.

No. 1977/Admin. (Services)/2023–Sri Prabhu Narayan Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Additional District & Sessions Judge, Rampur.

No. 1978/Admin. (Services)/2023–Sri Amit Veer Singh, Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra.

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

सिंचाई विभाग

बड़ागांव अल्पिका समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक 30 जनवरी, 2023 ई0

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम/बहराइच/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनीं अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है—

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	बेलखड़ा राजवाहा	बड़ागांव अल्पिका (टी0बी0) समिति	513

टिप्पणी—उक्त अल्पिका पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर बनीं कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है—

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	बड़ागांव अल्पिका (टी0बी0)	बड़ागांव अल्पिका (टी0बी0) कुलाबा समिति सं0—01	24
2			,, ,, ,, ,, ,, 02	22
3			,, ,, ,, ,, ,, 03	33

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
4	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	बड़ागांव अल्पिका (टी0बी0)	बड़ागांव अल्पिका (टी0बी0) कुलाबा समिति सं0–04	73
5			,, ,, ,, ,, ,, 05	28
6			,, ,, ,, ,, ,, 06	110
7			,, ,, ,, ,, ,, 07	70
8			,, ,, ,, ,, ,, 08	18
9			,, ,, ,, ,, ,, 09	27
10			,, ,, ,, ,, ,, 10	36
11			,, ,, ,, ,, ,, 11	13

टिप्पणी–उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

सरखना अल्पिका समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनीं अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	कटघरा राजवाहा	सरखना अल्पिका समिति	313

टिप्पणी–उक्त अल्पिका पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर बनीं कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	सरखना अल्पिका	सरखना अल्पिका कुलाबा समिति सं0–01	8
2			,, ,, ,, ,, ,, 02	53
3			,, ,, ,, ,, ,, 03	28
4			,, ,, ,, ,, ,, 04	58
5			,, ,, ,, ,, ,, 05	45
6			,, ,, ,, ,, ,, 06	22
7			,, ,, ,, ,, ,, 07	44
8			,, ,, ,, ,, ,, 08	26

टिप्पणी–उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनीं अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	सिरौली राजवाहा	शाहपुर अल्पिका समिति	208

टिप्पणी–उक्त अल्पिका पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर बनीं कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	शाहपुर अल्पिका	शाहपुर अल्पिका कुलाबा समिति सं0–01	41
2			,, ,, ,, ,, ,, 02	15
3			,, ,, ,, ,, ,, 03	20
4			,, ,, ,, ,, ,, 04	36
5			,, ,, ,, ,, ,, 05	38
6			,, ,, ,, ,, ,, 06	58

टिप्पणी–उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

भाटीकुण्डा अल्पिका समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनीं अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	सिरौली राजवाहा	भाटीकुण्डा अल्पिका समिति	234

टिप्पणी–उक्त अल्पिका पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर बनीं कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	भाटीकुण्डा अल्पिका	भाटीकुण्डा अल्पिका कुलाबा समिति सं0–01	45
2			,, ,, ,, ,, ,, 02	25
3			,, ,, ,, ,, ,, 03	73
4			,, ,, ,, ,, ,, 04	27
5			,, ,, ,, ,, ,, 05	36
6			,, ,, ,, ,, ,, 06	28

टिप्पणी–उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

पदमपिछौरा अल्पिका समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनीं अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	सिरौली राजवाहा	पदमपिछौरा अल्पिका समिति	662

टिप्पणी–उक्त अल्पिका पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

पदमपिछौरा अल्पिका कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर बनीं कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	पदमपिछौरा अल्पिका	पदमपिछौरा अल्पिका कुलाबा समिति सं0–01	20
2			,, ,, ,, ,, ,, 02	32
3			,, ,, ,, ,, ,, 03	108
4			,, ,, ,, ,, ,, 04	24
5			,, ,, ,, ,, ,, 05	116
6			,, ,, ,, ,, ,, 06	67
7			,, ,, ,, ,, ,, 07	33
8			,, ,, ,, ,, ,, 08	85
9			,, ,, ,, ,, ,, 09	19
10			,, ,, ,, ,, ,, 10	19
11			,, ,, ,, ,, ,, 11	56
12			,, ,, ,, ,, ,, 12	38
13			,, ,, ,, ,, ,, 13	14
14			,, ,, ,, ,, ,, 14	31

टिप्पणी–उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

डुहरु अल्पिका समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनीं अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	गोण्डा शाखा	डुहरु अल्पिका समिति	681

टिप्पणी–उक्त अल्पिका पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

डुहरु अल्पिका कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर बनीं कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	डुहरु अल्पिका	डुहरु अल्पिका कुलाबा समिति सं0–01	16
2			,, ,, ,, ,, ,, 02	28
3			,, ,, ,, ,, ,, 03	27
4			,, ,, ,, ,, ,, 04	16
5			,, ,, ,, ,, ,, 05	22
6			,, ,, ,, ,, ,, 06	27
7			,, ,, ,, ,, ,, 07	18
8			,, ,, ,, ,, ,, 08	38
9			,, ,, ,, ,, ,, 09	26
10			,, ,, ,, ,, ,, 10	16
11			,, ,, ,, ,, ,, 11	21
12			,, ,, ,, ,, ,, 12	22
13			,, ,, ,, ,, ,, 13	10
14			,, ,, ,, ,, ,, 14	28
15			,, ,, ,, ,, ,, 15	27
16			,, ,, ,, ,, ,, 16	12
17			,, ,, ,, ,, ,, 17	58
18			,, ,, ,, ,, ,, 18	27
19			,, ,, ,, ,, ,, 19	19
20			,, ,, ,, ,, ,, 20	32
21			,, ,, ,, ,, ,, 21	18
22			,, ,, ,, ,, ,, 22	18
23			,, ,, ,, ,, ,, 23	18
24			,, ,, ,, ,, ,, 24	22
25			,, ,, ,, ,, ,, 25	17

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
26	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	डुहरु अल्पिका	डुहरु अल्पिका कुलाबा समिति सं0–26	21
27			,, ,, ,, ,, ,, 27	36
28			,, ,, ,, ,, ,, 28	23
29			,, ,, ,, ,, ,, 29	18

टिप्पणी–उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

अकरौरा अल्पिका समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनीं अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	गोण्डा शाखा	अकरौरा अल्पिका समिति	281

टिप्पणी–उक्त अल्पिका पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

अकरौरा अल्पिका कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

सं0 111/स0न0ख0-5,ब0/पिम्–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर बनीं कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है–

अनुसूची

क्रम सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	अकरौरा अल्पिका	अकरौरा अल्पिका कुलाबा समिति सं0–01	5
2			,, ,, ,, ,, ,, 02	32

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
3	सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच	अकरौरा अल्पिका	अकरौरा अल्पिका कुलाबा समिति सं0–03	29
4			,, ,, ,, ,, ,, 04	27
5			,, ,, ,, ,, ,, 05	31
6			,, ,, ,, ,, ,, 06	27
7			,, ,, ,, ,, ,, 07	23
8			,, ,, ,, ,, ,, 08	29
9			,, ,, ,, ,, ,, 09	14
10			,, ,, ,, ,, ,, 10	20
11			,, ,, ,, ,, ,, 11	18
12			,, ,, ,, ,, ,, 12	26

टिप्पणी–उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा, मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच जनपद-बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अभियन्ता,
सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, कौशाम्बी

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 1023/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/प्रयागराज–प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जनपद कौशाम्बी में तहसील-सिराथू, परगना-कड़ा के ग्राम-धुमाई में क्षेत्रफल 0.2309 हेक्टेयर एवं अझुआ में क्षेत्रफल 0.0110 हेक्टेयर रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या-32सी (अथसराय) के निर्माण हेतु व तहसील-सिराथू, परगना-कड़ा के ग्राम-बम्हरौली में 0.1213 हेक्टेयर रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या-15सी (शुजातपुर) के निर्माण हेतु एवं तहसील-चायल के ग्राम-सैय्यद-सरांवा में 1.0516 हेक्टेयर रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या-7सी (सैय्यद-सरांवा) के निर्माण हेतु भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 706/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) प्रयागराज, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 26 अगस्त, 2023 को प्रकाशित की गयी थी।

2–अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अधीन उपबंध के अनुसरण में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं, कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में तहसील चायल/सिराथू में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल 1.4148 हे0 सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला कौशाम्बी, तहसील सिराथू/चायल की सामाजिक समाघात रिपोर्ट के अनुसार इस भू-अर्जन में कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है। ऐसी दशा में पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन की आवश्यकता नही है।

3–राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन जिला कौशाम्बी के कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ को इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर भूमि राज्य सरकार में समाहित होकर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशम्बी को निर्माण हेतु हस्तगत करें।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	कौशाम्बी	सिराथू	कड़ा	धुमाई	322	0.0250
2	,,	,,	,,	,,	321	0.0114
3	,,	,,	,,	,,	320	0.0140
4	,,	,,	,,	,,	335	0.0150
5	,,	,,	,,	,,	338 मि0	0.0045
6	,,	,,	,,	,,	346 मि0	0.0755
7	,,	,,	,,	,,	349 मि0	0.0460
8	,,	,,	,,	,,	363 मि0	0.0216
9	,,	,,	,,	,,	330 मि0	0.0178
					योग . .	**0.2309**
10	,,	,,	,,	अझुआ	566	0.0110
					योग . .	**0.0110**

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
11	कौशाम्बी	सिराथू	कड़ा	बम्हरौली	1790 मि0	0.0810
12	,,	,,	,,	,,	1693	0.0157
13	,,	,,	,,	,,	634 मि0	0.0012
14	,,	,,	,,	,,	635	0.0054
15	,,	,,	,,	,,	636	0.0066
16	,,	,,	,,	,,	657	0.0040
17	,,	,,	,,	,,	879	0.0007
18	,,	,,	,,	,,	653	0.0067
					योग . .	**0.1213**
19	,,	,,	चायल	सैय्यद–सरांवा	597	0.0588
20	,,	,,	,,	,,	405 ख	0.0366
21	,,	,,	,,	,,	405 क	0.0072
22	,,	,,	,,	,,	401	0.0990
23	,,	,,	,,	,,	406	0.0162
24	,,	,,	,,	,,	606	0.0140
25	,,	,,	,,	,,	409	0.0072
26	,,	,,	,,	,,	605 क	0.0288
27	,,	,,	,,	,,	604	0.0288
28	,,	,,	,,	,,	603	0.0216
29	,,	,,	,,	,,	602	0.0120
30	,,	,,	,,	,,	612	0.0432
31	,,	,,	,,	,,	1470	0.0803
32	,,	,,	,,	,,	1431 ख	0.0100
33	,,	,,	,,	,,	1431 क	0.0386
34	,,	,,	,,	,,	1453	0.0784
35	,,	,,	,,	,,	1436	0.0720
36	,,	,,	,,	,,	1438	0.0384

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
37	कौशाम्बी	सिराथू	चायल	सैय्यद–सरांवा	1440 क	0.0504
38	,,	,,	,,	,,	1441	0.0540
39	,,	,,	,,	,,	1350	0.0360
40	,,	,,	,,	,,	1437	0.0554
41	,,	,,	,,	,,	1454	0.0240
42	,,	,,	,,	,,	1458	0.0035
43	,,	,,	,,	,,	1463	0.0173
44	,,	,,	,,	,,	613	0.0960
45	,,	,,	,,	,,	601	0.0240
					योग . .	**1.0516**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	कौशाम्बी	सिराथू	कड़ा	धुमाई	शून्य	शून्य
2	,,	,,	,,	अझुआ	,,	,,
3	,,	,,	,,	बम्हरौली	,,	,,
4	,,	चायल	चायल	सैय्यद सरावां	,,	,,

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0)/कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ, प्रयागराज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,

जिलाधिकारी, कौशाम्बी।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PROVINCIAL WORKS DIVISION DEPARTMENT
Form-19
[Sub-rule (1) of the Rule 27]
Declaration By Appropriate Government/Collector
Under Sub-Section (1) of Section 19 of the Act
NOTIFICATION
September 27, 2023

No. 1023/VIII-S.L.A.O.(J.O.)/Prayagraj/2023--Whereas Preliminary Notification No. 706/VIII-S.L.A.O.(J.O.)/ Prayagraj, Dated July 26, 2023 was issued under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect ofArea of 0.2309 Hect. in Village-Dhumai and Area of 0.0110 Hect. in Village-Ajhua of land is required in the Tehsil-Sirathu, District-Kaushambi for R.O.B.-32C. Area of 0.1213 Hect. in Village-Bamhrauli, Tehsil-Sirathu, District-Kaushambi of land is required for R.O.B.-15C. Area of 1.0516 Hect. in Village-Saiyyad Sarawa, Tehsil-Chail, District Kaushambi of land is required for R.O.B.-7C for the public purpose through E. E. Prantiya Khand, P.W.D., Kaushambi, U. P. and lastly published on dated 26.07.2023.

After Considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 1.4148 Hectares in affected Villages in Tehsil-Sirathu & Chail, District-Kaushambi. As given in Schedule "B" Zero Hectares has been identifies as per social impact assessment report for the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of he displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of Section 19 of the Act, land is vested in Government of Uttar Pradesh/Executive Engineer, P.W.D. Kaushambi, U. P. and direct the Collector of Kaushambi to give possession of the said acquired land within seven days. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith. (No faimily is displaced in land acquisition for R.O.B. No. 7C, 15C & 32C Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme).

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

Sr. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Kaushambi	Sirathu	Kada	Dhumai	322	0.0250
2	,,	,,	,,	,,	321	0.0114
3	,,	,,	,,	,,	320	0.0140
4	,,	,,	,,	,,	335	0.0150
5	,,	,,	,,	,,	338 Mi.	0.0045

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
6	Kaushambi	Sirathu	Kada	Dhumai	346 Mi.	0.0755
7	,,	,,	,,	,,	349 Mi.	0.0460
8	,,	,,	,,	,,	363 Mi.	0.0216
9	,,	,,	,,	,,	330 Mi.	0.0178
					Total Area . .	**0.2309**
10	,,	,,	,,	Ajhua	566	0.0110
					Total Area ..	**0.0110**
11	,,	,,	,,	Bamhrauli	1790 Mi.	0.0810
12	,,	,,	,,	,,	1693	0.0157
13	,,	,,	,,	,,	634 Mi.	0.0012
14	,,	,,	,,	,,	635	0.0054
15	,,	,,	,,	,,	636	0.0066
16	,,	,,	,,	,,	657	0.0040
17	,,	,,	,,	,,	879	0.0007
18	,,	,,	,,	,,	653	0.0067
					Total Area . .	**0.1213**
19	,,	Chail	Chail	Saiyyad-Sarawa	597	0.0588
20	,,	,,	,,	,,	405 Kha	0.0366
21	,,	,,	,,	,,	405 Ka	0.0072
22	,,	,,	,,	,,	401	0.0990
23	,,	,,	,,	,,	406	0.0162
24	,,	,,	,,	,,	606	0.0140
25	,,	,,	,,	,,	409	0.0072
26	,,	,,	,,	,,	605 Ka	0.0288
27	,,	,,	,,	,,	604	0.0288
28	,,	,,	,,	,,	603	0.0216
29	,,	,,	,,	,,	602	0.0120
30	,,	,,	,,	,,	612	0.0432

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
31	Kaushambi	Chail	Chail	Saiyyad-Sarawa	1470	0.0803
32	,,	,,	,,	,,	1431 Kha	0.0100
33	,,	,,	,,	,,	1431 Ka	0.0386
34	,,	,,	,,	,,	1453	0.0784
35	,,	,,	,,	,,	1436	0.0720
36	,,	,,	,,	,,	1438	0.0384
37	,,	,,	,,	,,	1440 Ka	0.0504
38	,,	,,	,,	,,	1441	0.0540
39	,,	,,	,,	,,	1350	0.0360
40	,,	,,	,,	,,	1437	0.0554
41	,,	,,	,,	,,	1454	0.0240
42	,,	,,	,,	,,	1458	0.0035
43	,,	,,	,,	,,	1463	0.0173
44	,,	,,	,,	,,	613	0.0960
45	,,	,,	,,	,,	601	0.0240
					Total Area . .	**1.0516**

SCHEDULE-B

(Land identified as settelment area for displaced families)

Sr. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Kaushambi	Sirathu	Kada	Dhumai	Zero	Zero
2	,,	,,	,,	Ajhua	,,	,,
3	,,	,,	,,	Bamhrauli	,,	,,
4	,,	Chail	Chail	Sayyad-Sarawa	,,	,,

(*Sd*.) ILLIGIBLE,
State Government/Collector,
Kaushambi.

प्रारूप-20 (क)

(नियम-29)

[(अधिनियम की धारा-21(1) एवं (2) के अन्तर्गत सामान्य सूचना)]

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 1023/आठ–वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/प्रयागराज–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) अधिसूचना संख्या 706/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) प्रयागराज, दिनांक 26 जुलाई, 2023 निर्गत करते हैं तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कौशाम्बी (आपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद कौशाम्बी में तहसील-सिराथू, परगना-कड़ा के ग्राम-धुमाई में क्षेत्रफल 0.2309 हेक्टेयर एवं अझुआ में क्षेत्रफल 0.0110 हेक्टेयर रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या–32सी (अथसराय) के निर्माण हेतु व तहसील-सिराथू, परगना-कड़ा के ग्राम-बम्हरौली में 0.1213 हेक्टेयर रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या-15सी (शुजातपुर) के निर्माण हेतु एवं तहसील-चायल के ग्राम-सैय्यद–सरांवा में 1.0516 हेक्टेयर रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या-7सी (सैय्यद–सरांवा) के निर्माण हेतु अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत समुचित भूमि की उद्घोषणा संख्या 1023/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) प्रयागराज, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 है। अतः अपेक्षित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय में अथवा कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) प्रयागराज में 11:00 बजे पूर्वान्ह परदिनांक 27 अक्टूबर, 2023 को उपस्थित होकर तथा भूमि में अपने से सम्बन्धित हित की प्रकृति तथा ऐसे हितों के सम्बन्ध में दावे की धनराशि एवं ब्यौरा, अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन, स्वत्व/धारणाधिकार के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या-32सी (अथसराय) के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि–

क्र0 सं0	जनपद	परगना/तहसील	ग्राम/नगर	भू-खण्ड सं0/गाटा सं0	भूमि का क्षेत्रफल	अभिलिखित भू-धारक/स्वामी/उपस्वामी/भूमिधर/सरकारी पट्टेदार का नाम	किरायेदार/उप किरायेदार/असामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपेक्षित भूमि का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(हे0 में)			
1	कौशाम्बी	कड़ा/सिराथू	धुमाई	322	0.0250	दयाराम पुत्र दानी		
2						श्याम सुन्दर पुत्र दानी		
3						संतोष कुमार पुत्र दानी		
4						अवध कुमार पुत्र दानी		
5				321	0.0038	अर्जुन पुत्र सुरेश सिंह		
6					0.0038	जय सिंह पुत्र सुरेश सिंह		
7					0.0038	ज्ञानमती पत्नी सुरेश सिंह		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(हे0 में)			
8	कौशाम्बी	कड़ा/ सिराथू	धुमाई	320	0.0140	बिन्द कुमार पुत्र रामभरोसे		
9						रमेश कुमार पुत्र रामभरोसे		
10				335	0.0050	अर्जुन पुत्र सुरेश सिंह		
11					0.0050	जय सिंह पुत्र सुरेश सिंह		
12					0.0050	ज्ञानमती पत्नी सुरेश सिंह		
13				338 मि0	0.0045	बासदेव मौर्य पुत्र रामपाल		
14				346 मि0	0.0755	रामाकान्त पुत्र गया प्रसाद		
15						उमाकान्त पुत्र गया प्रसाद		
16				349 मि0	0.0460	दरियाव पुत्र सूरजदीन		
17						उमेन्द्र पुत्र देवसरन		
18						धमेन्द्र पुत्र देवसरन		
19						कमलेश देवी पत्नी देवसरन		
20						जैनेन्द्र पुत्र अशोक कुमार		
21						विपलेन्द्र पुत्र अशोक कुमार		
22						सुभनेन्द्र कुमार पुत्र उमराव सिंह		
23						योगन्द्र कुमार पुत्र उमराव सिंह		
24				363 मि0	0.0216	दरियाव पुत्र सूरजदीन		
25						उमेन्द्र पुत्र देवसरन		
26						धमेन्द्र पुत्र देवसरन		
27						कमलेश देवी पत्नी देवसरन		
28						जैनेन्द्र पुत्र अशोक कुमार		
29						विपलेन्द्र पुत्र अशोक कुमार		
30						सुभनेन्द्र कुमार पुत्र उमराव सिंह		
31						योगन्द्र कुमार पुत्र उमराव सिंह		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(हे0 में)			
32	कौशाम्बी	कड़ा/ सिराथू	धुमाई	330 मि0	0.0178	दशरथ लाल पुत्र रामस्वरुप		
33						उर्मिला देवी पत्नी रामचन्द्र		
34						सत्यजीत पुत्र रामचन्द्र		
35						आशीष पुत्र रामचन्द्र		
36						अनुराधा देवी ना0बा0 पुत्री रामचन्द्र		
37						शशि ना0बा0 पुत्री रामचन्द्र		
					0.2309			
38				566	0.0110	रामपाल पुत्र पितम्बर		
39						श्रीनाथ पुत्र श्री राजबहादुर		
40						चन्द्रशेखर पुत्र राजबहादुर		
41						अमर सिंह पुत्र रामदास		
42						बच्चीलाल पुत्र रामराज		
43						बलवन्त पुत्र रामराज		
44						दिनेश पुत्र रामराज		
45						विनोद पुत्र रामराज		
					0.0110			

रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या–15सी (शुजातपुर) के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि–

क्र0 सं0	जनपद	परगना / तहसील	ग्राम / नगर	भू-खण्ड सं0 / गाटा सं0	भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	अभिलिखित भू-धारक / स्वामी / उपस्वामी / भूमिधर / सरकारी पट्टेदार का नाम	किरायेदार / उप किरायेदार / असामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपेक्षित भूमि का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कौशाम्बी	कड़ा / सिराथू	बम्हरौली	1790 मि0	0.0145	सोमचन्द्र द्विवेदी पुत्र राम किशोर		
2				1790 मि0	0.0115	गीता देवी पत्नी बच्ची लाल		
3				1790 मि0	0.0550	जगदीश पुत्र राम कृपाल		
4				1693	0.0150	विष्णुकान्त पुत्र शिव मूरत		
5				1693	0.0007	राम औतार पुत्र रामफल		
6				634 मि0	0.0012	हरिकेशन पुत्र चन्द्र पाल		
7				635	0.0054	हरिकेशन पुत्र चन्द्र पाल		
			योग . .		**0.1033**			
8				636	0.0066	मतरूक		
9				657	0.0040	मतरूक		
10				879	0.0007	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र धर्मराज		
11				653	0.0029	सूरसती पत्नी दशरथ लाल		
12				653	0.0038	जगन्नाथ पुत्र रामसजीवन		
13				653		बैजनाथ पुत्र रामसजीवन		
14				653		रामकुमार पुत्र राम खेलावन		
			योग . .		**0.0180**			
				कुलयोग . .	**0.1213**			

रेल उपरिगामी सेतु सम्पार संख्या-7सी (सैय्यद सरावां) के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि–

क्र0 सं0	जनपद	परगना / तहसील	ग्राम / नगर	भू-खण्ड सं0 / गाटा सं0	भूमि का क्षेत्रफल	अभिलिखित भू-धारक / स्वामी / उपस्वामी / भूमिधर / सरकारी पट्टेदार का नाम	किरायेदार / उप किरायेदार / असामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपेक्षित भूमि का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(हे0 में)			
1	कौशाम्बी	चायल / चायल	सैय्यद सरावां	597	0.0588	शाह शफी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी अबू सईद पुत्र हकीम आफाक अहमद		
2				405-ख	0.0366	अहसान आलम पुत्र मोहीब उद्दीन		
3				,,		नुमान आलम पुत्र मोहीब उद्दीन		
4				,,		सुल्तान आलम पुत्र मोहीब उद्दीन		
5				,,		सदीरून निशा पत्नी मोहीब उद्दीन		
6				,,		मो0 आशिफ पुत्र स्व0 शाने आलम		
7				,,		रूकैयाशन पुत्री स्व0 शाने आलम		
8				,,		मारियाशान पुत्री स्व0 शाने आलम		
9				,,		महमूदा खातून पत्नी स्व0 शाने आलम		
10				405-क	0.0072	महबूब एजाज पुत्र एजाज आलम		
11				401	0.0990	महबूब एजाज पुत्र एजाज आलम		
12				406	0.0162	अहमद हुसैन पुत्र कबीर हसन		
13				406		अली हुसैन पुत्र कबीर हसन		
14				406		इमदाद हुसैन पुत्र कबीर हसन		
15				606	0.0140	अशोक कुमार पुत्र बजर प्रसाद		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(हे0 में)			
16	कौशाम्बी	चायल/ चायल	सैय्यद सरावां	606	0.0140	राम आसरे पुत्र भरोस		
17				409	0.0072	जफर इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
18				409		हसन इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
19				409		सलमान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
20				409		इरफान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
21				605-क	0.0144	शमीम फुजैल पुत्र फुजैल अहमद		
22				605-क		रजिया बानो पत्नी फुजैल अहमद		
23					0.0144	अबू सईद पुत्र हकीम आफाक		
24				604	0.0288	जफर इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
25				,,		हसन इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
26				,,		सलमान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
27				,,		इरफान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
28				603	0.0216	जफर इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
29				,,		हसन इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
30				,,		सलमान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
31				,,		इरफान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
32				602	0.0120	जफर इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
33				,,		हसन इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(हे0 में)			
34	कौशाम्बी	चायल/ चायल	सैय्यद सरावां	602	0.0120	सलमान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
35				,,		इरफान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
36				612	0.0432	शाह शफी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी अबू सईद पुत्र हकीम आफाक		
37				1470	0.0803	मो0 आतिफ उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
38				,,		मो0 इरफान उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
39				,,		मो0 आफान उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
40				,,		मो0 ममनून उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
41				1431-ख	0.003733	जफर इकबाल उर्फ सलीम अहमद पुत्र एकलाख अहमद		
42				,,	0.003733	साजिद खातून पत्नी एकलाख अहमद		
43				,,	0.002489	नसीम फात्मा पत्नी स्व0 अबसार अहमद		
44				1431-क	0.0386	जलाल अहमद पुत्र इकबाल अहमद		
45				,,		रेहान अहमद पुत्र निहाल अहमद		
46				,,		नफीम फात्मा पत्नी निहाल अहमद		
47				1453	0.0784	मो0 अतीक उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
48				,,		मो0 इरफान उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
49				,,		मो0 आफान उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
50				,,		मो0 ममनून उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(हे0 में)			
51	कौशाम्बी	चायल/ चायल	सैय्यद सरावां	1436	0.0720	जफर इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
52				,,		हसन इकबाल उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
53				,,		सलमान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
54				,,		इरफान अहमद उस्मानी पुत्र खलीक अहमद		
55				,,		गजाला ओवैश पत्नी ओवैश अहमद उस्मानी		
56				,,		मो0 आशिफ उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
57				,,		मो0 इरफान उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
58				,,		मो0 आफान उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
59				,,		मो0 ममनून उस्मानी पुत्र मो0 हाशिम		
60				,,		अतीक अहमद पुत्र खलीक अहमद		
61				1438	0.0384	छेदी लाल पुत्र बदल		
62				,,		मोती लाल पुत्र बदल		
63				1440-क	0.0504	मो0 यासीन पुत्र मो0 भुनाफ		
64				1441	0.0540	श्रीमती बतूननिशा बीबी पत्नी अब्दुल सत्तार		
65				,,		जमील आलम पुत्र जुनैद आलम		
66				,,		नफीस आलम पुत्र नफीस आजम		
67				1350	0.0090	पन्ना लाल पुत्र बदल		
68				,,	0.0090	अम्बे लाल पुत्र बदल		
69				,,	0.0060	श्याम लाल पुत्र दुर्जन		
70				,,	0.0060	रामलाल पुत्र दुर्जन		
71				,,	0.0060	ओम प्रकाश पुत्र दुर्जन		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(हे0 में)			
72	कौशाम्बी	चायल/चायल	सैय्यद सरावां	1437	0.009233	अफसार हुसैन पुत्र बखतियार		
73				,,	0.009233	आफताब हुसैन पुत्र बखतियार		
74				,,	0.009233	असहाब हुसैन पुत्र बखतियार		
75				,,	0.013850	अजमत हुसैन पुत्र इसरार हुसैन		
76				,,	0.013850	हसमत हुसैन पुत्र इसरार हुसैन		
77	कौशाम्बी	चायल/चायल	सैय्यद सरावां	1454	0.0240	तबरेज अहमद पुत्र इनाम अहमद		
78				,,		मुईन अहमद पुत्र इनाम अहमद		
79				1458	0.0035	अबू सईद पुत्र हकीम आफाक		
80				1463	0.0058	मो0 परवेज पुत्र अबरार अहमद		
81				,,	0.0058	आशिक अबरार पुत्र अबरार अहमद		
82				,,	0.0058	मो0 नासिर अबरार पुत्र अबरार अहमद		
				योग . .	**0.9316**			
83				613	0.0960	मतरूक		
84				601	0.0240	मतरूक		
				योग . .	**0.1200**			
				कुलयोग . .	**1.0516**			

नोट–यह नोटिस दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित सामान्य सूचना हेतु निर्गत किया गया है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

06 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 946/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2023—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0 अभि0 मध्य गंगा नहर गुण नियन्त्रण खण्ड-2, हरिद्वार (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम हरयाना व चॉदपुर का रकबा कुल 0.2244 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1289/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/23, दिनांक 17 फरवरी, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 27 मई, 2023 को प्रकाशित की गयी थी डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर, हसनपुर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम हरयाना व चॉदपुर का रकबा कुल 0.2244 है0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु जिला कलेक्टर अमरोहा को निर्देशित करते हैं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इस के साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	अमरोहा		हसनपुर	हरयाना	48	0.1752
2				चॉदपुर	254	0.0492
					कुल योग . .	**0.2244**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
विस्थापित परिवारो की संख्या ''शून्य''						

टिप्पणी –उक्त भूमि का स्थल-नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा रहा है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0 अभि0 मध्य गंगा नहर गुण नियन्त्रण खण्ड-2, हरिद्वार (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम हरयाना व चॉदपुर का रकबा कुल 0.2244 है0 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 946/आठ–वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/23ए दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
अमरोहा।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPTIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

October 06, 2023

No. 946/VIII-S.L.A.O./Notification/Amroha/2023–Whereas Preliminary Notification No. 1289/ VIII/S.L.A.O./Amroha/23, Dated ……. was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of 0.2244 Hectares of land Village-Haryana, Chandpur, Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is required for public purpose namely project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) though Executive Engineer Madhya Ganga Canal Quality Control Division-2, Haridwar (Name of requiring body and lastly Published on dated 27-05-2023. The Deputy Collector, Hasanpur was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of this project affected Families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and land to the extent of 0.2244 hectares in Village-Haryana & Chandpur, Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha as given in Schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Government is futher pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the rehabilitation and resettlement Scheme is attached here with.

SCHEDULE-A

(Land under purpose acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Haryana	48	0.1752
			Chandpur	254	0.0492
				Total . .	**0.2244**

SCHEDULE-B

(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilation
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Nil					

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]

U. P. Irrigation department, Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Quality Control Div-2, Haridwar by the order of declaration made Under Govt. notification no 946-S.L.A.O./Amroha/23, dated 06-10-2023 for 0.2244 hectare of land in Village-Haryana and Chandpur, Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is required for public purpose namely project Madhya Ganga Canal project

(Stage–II-nd) through Irrigation & Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Quality Control Div-2, Haridwar (Name of required body).

I, hearby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and resettlement scheme with Govt. notification. A summary of the rehabilitation and resettlement scheme is given below.

NOTE-A plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLIGIBILE,
District Magistrate,
Amroha.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी बलरामपुर

06 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 653/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/बलरामपुर/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर का यह समाधान हो गया है कि राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना के अधीन लोक प्रयोजन हेतु ग्राम लक्ष्मीनगर (पचपेड़वा), परगना-तुलसीपुर, तहसील-तुलसीपुर, जिला-बलरामपुर में उक्त परियोजना के अधीन राप्ती मुख्य नहर के निर्माण हेतु कुल 0.019331 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार सरयू नहर परियोजना के पर्यावरण अनापत्ति के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र-संख्या-1-12011/16/96-IA-1, दिनांक 19 जून, 2000 उपलब्ध कराया गया है।

3–इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है।

4–अतः श्री राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बलरामपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर	ग्राम लक्ष्मीनगर (पचपेड़वा)	23	0.019331

5–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

6–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी
बलरामपुर।

Office of District Magistrate, Balrampur

NOTIFICATION

October 06, 2023

No. 653/VIII/S.L.A.O./Notification/Balrampur/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, (Act no. 30 of 2013) hereinafter referred to as the said Act, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector is satisfied that a total of 0.019331 hectares of land is required for the construction of Rapti Main Canal under the National Project of Saryu Nahar Pariyojna in the Village-Lakshminagar (Pachperwa), Pargana-Tulsipur, Tehsil-Tulsipur, District-Balrampur for public purpose under the said project namely Saryu Canal Project.

2. Letter no. 1-12011/16/96-IA-1, dated June 19, 2000 has been provided by the Ministry of Environment and Forests, Government of India regarding environmental clearance of Saryu Canal Project (Saryu Nahar Pariyojna) in accordance with the provision of sub-section (2) of section 6 of the said Act.

3. No family is likely to be displaced due to land acquistion for this project.

4. Therefore, the Hon'ble Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Balrampur	Tulsipur	Tulsipur	Lakshminagar (Pachperwa)	23	0.019331

5. The Hon'ble Governor is also pleased to authorized the Collector for the purpose of land the acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under Section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the said Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

7. Under sub-section (4) of section 11 of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Balrampur.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश
प्रारूप-19
नियम-27 का उपनियम (1)
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]
अधिसूचना

13 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 190/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-9, सम्भल (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) चन्दौसी शाखा के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम सिरसी में कुल 0.6209 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या ....., दिनांक ..... को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक दिनांक .... को प्रकाशित की गयी थी डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर, ... को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम सिरसी में कुल 0.6209 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु ..... कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सम्भल	सम्भल	सम्भल	सिरसी	1359	0.0085
					1361	0.0635
					1822	0.2564
					1827/1	0.2925
					योग . .	**0.6209**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
					विस्थापित परिवारों की संख्या ''शून्य''	

टिप्पणी –उक्त भूमि का स्थल-नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

October 13, 2023

No. 190/VIII-S.L.A.O./Notification/Moradabad/2023–Whereas Preliminary Notification No. ....., Dated .....was under sub-section (1) of section 11 of the Right to fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of ..... hectares of land Village-Sirsi, Pargana-Sambhal, Tehsil- Sambhal, District- Sambhal is required for public purpose namely project Madhya Ganga Canal Project Phase 2nd through Irrigation and Water Resources

Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (Name of requiring body) and lastly Published on dated ..... The Deputy Collector/ Assistant Collector, ... was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and land to the extent of 0.3384 hectares in Village-Sirsi, Pargana-Sambhal, District- Sambhal as given in Schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Government is futher pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the rehabilitation and resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under purpose acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Sirsi	1359	0.0085
				1361	0.0635
				1822	0.2564
				1827/1	0.2925
				Total . .	**0.6209**

SCHEDULE-B

(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilation
1	2	3	4	5	6
					Hectares

No. of displaced families is 'ZERO'

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector Sambhal for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLIGIBILE,
District Magistrate,
Sambhal.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

प्रारुप-18

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 8408/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/2023-24—चूंकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब में बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाइन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु ग्राम-बघौली, तप्पा-असनार, परगना-बॉसी पूरब, तहसील-बॉसी, जनपद-सिद्धार्थनगर में क्षेत्रफल 3.744 हे0 भूमि के अर्जन के लिये अधिसूचना संख्या 6082/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/अधि0/2022-23, दिनांक 27 जून, 2022 द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही आरम्भ की गई थी।

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन अधिसूचना संख्या 7408/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/अधि0/2022-23, दिनांक 21 नवम्बर, 2022 द्वारा क्षेत्रफल 3.323 हे0 भूमि से सम्बन्धित उक्त आशय की घोषणा की गई थी, जो अध्याप्ति निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या डब्लू/कॉन-247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण-1/176, दिनांक 25 अगस्त, 2023 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि रेलवे एलाईनमेंट में तकनीकी कारणों से संशोधन के फलस्वरूप पूर्व में अधिसूचित भूमि को अधिसूचना से विमुक्त कर दिया जाये।

अतएव अब उक्त अधिनियम की धारा-93 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त भूमि के अर्जन को प्रत्याहृत करने के लिये समुचित सरकार को घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि यह समाधान हो गया है कि अनुसूची में वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	बघौली	129	1.866
2	,,	,,	,,	,,	117	0.124
3	,,	,,	,,	,,	116	0.011
4	,,	,,	,,	,,	149	0.280
5	,,	,,	,,	,,	168	0.085
6	,,	,,	,,	,,	164	0.064
7	,,	,,	,,	,,	163	0.086
8	,,	,,	,,	,,	162	0.065
9	,,	,,	,,	,,	161	0.078

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
10	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	बघौली	160	0.121
11	,,	,,	,,	,,	158	0.139
12	,,	,,	,,	,,	157	0.046
13	,,	,,	,,	,,	155	0.072
14	,,	,,	,,	,,	201	0.012
15	,,	,,	,,	,,	200	0.098
16	,,	,,	,,	,,	199	0.061
17	,,	,,	,,	,,	165	0.072
18	,,	,,	,,	,,	159	0.043
					योग . .	**3.323**

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 8410/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/2023-24—चूंकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब में बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाइन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु ग्राम-जमोहनी, तप्पा-कुदारन, परगना-बॉसी पूरब, तहसील-बॉसी, जनपद-सिद्धार्थनगर में क्षेत्रफल 1.6512474 हे0 भूमि के अर्जन के लिये अधिसूचना संख्या 6079/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/अधि0/2022-23, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही आरम्भ की गई थी।

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन अधिसूचना संख्या 7238/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/अधि0/2022-23, दिनांक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा क्षेत्रफल 3.323 हे0 भूमि से सम्बन्धित उक्त आशय की घोषणा की गई थी, जो अध्याप्ति निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या डब्लू/कॉन-247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण-1/176, दिनांक 25 अगस्त, 2023 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि रेलवे एलाईनमेंट में तकनीकी कारणों से संशोधन के फलस्वरूप पूर्व में अधिसूचित भूमि को अधिसूचना से विमुक्त कर दिया जाये।

अतएव अब उक्त अधिनियम की धारा-93 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त भूमि के अर्जन को प्रत्याहृत करने के लिये समुचित सरकार को घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि यह समाधान हो गया है कि अनुसूची में वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं है—

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	जमोहनी	103	0.0835852
2	,,	,,	,,	,,	104	0.0319672
3	,,	,,	,,	,,	108	0.1565913
4	,,	,,	,,	,,	110	0.0588055
5	,,	,,	,,	,,	118	0.0034508
6	,,	,,	,,	,,	131	0.1523411
7	,,	,,	,,	,,	133	0.1204681
8	,,	,,	,,	,,	135	0.1120916
9	,,	,,	,,	,,	139	0.0230474
10	,,	,,	,,	,,	140	0.5419604
11	,,	,,	,,	,,	142	0.0108
12	,,	,,	,,	,,	164	0.2311388
					योग . .	**1.5262474**

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 8409/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/2023-24—चूंकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब में बहराइच-खलीलाबाद बी0 जी0 रेल लाइन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु ग्राम-सोनवलिया, तप्पा-कुदारन, परगना-बॉसी पूरब, तहसील-बॉसी, जनपद-सिद्धार्थनगर में क्षेत्रफल 3.8856668 हे0 भूमि के अर्जन के लिये अधिसूचना संख्या 6088/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/अधि0/2022-23, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही आरम्भ की गई थी।

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन अधिसूचना संख्या 7240/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिद्धार्थनगर/अधि0/2022-23, दिनांक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा क्षेत्रफल 3.0266668 हे0 भूमि से सम्बन्धित उक्त आशय की घोषणा की गई थी, जो अध्याप्ति निकाय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या डब्लू/कॉन-247/बी0जी0/जी0/भूमि अधिग्रहण-1/176, दिनांक 25 अगस्त, 2023 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि रेलवे एलाईनमेंट में तकनीकी कारणों से संशोधन के फलस्वरूप पूर्व में अधिसूचित भूमि को अधिसूचना से विमुक्त कर दिया जाये।

अतएव अब उक्त अधिनियम की धारा-93 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त भूमि के अर्जन को प्रत्याहृत करने के लिये समुचित सरकार को घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि यह समाधान हो गया है कि अनुसूची में वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं है–

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	सोनवलिया	18	0.1170921
2	,,	,,	,,	,,	40	0.4350015
3	,,	,,	,,	,,	36	0.1082759
4	,,	,,	,,	,,	42	0.3699382
5	,,	,,	,,	,,	86	0.3540893
6	,,	,,	,,	,,	73	0.0419468
7	,,	,,	,,	,,	69	0.0654974
8	,,	,,	,,	,,	67	0.0414905
9	,,	,,	,,	,,	68	0.1193383
10	,,	,,	,,	,,	64	0.0107665
11	,,	,,	,,	,,	193	0.3614687
12	,,	,,	,,	,,	194	0.0310372
13	,,	,,	,,	,,	196	0.0042557
14	,,	,,	,,	,,	192	0.0953309
15	,,	,,	,,	,,	195	0.1205764
16	,,	,,	,,	,,	217	0.1549639
17	,,	,,	,,	,,	220	0.0118348
18	,,	,,	,,	,,	219	0.2450956
19	,,	,,	,,	,,	218	0.0599354
20	,,	,,	,,	,,	232	0.2565603
21	,,	,,	,,	,,	233	0.0221714
					योग . .	**3.0266668**

(ह0) अस्पष्ट,

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 13, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, श्रावस्ती

उद्योगों के लाइसेंस शुल्क संबंधित उपविधि

10 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 586/एल0बी0ए0(उपविधि)/2023–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) की धारा-142 एवं 143 के साथ पठित धारा-239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, श्रावस्ती द्वारा जनपद श्रावस्ती के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें, व्यापारियों/दुकानदार/कारखाना मालिक को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु शासन के पत्र-संख्या 1152/33-2-2017-62जी/17, पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के अनुरूप उपविधि बनायी गयी है जो जिला पंचायत, श्रावस्ती की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2023 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित है। जिला पंचायत, श्रावस्ती द्वारा उक्त उपविधि के जनसामान्य हेतु समाचार-पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित किया गया, परन्तु कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा उक्त उपविधि का राजकीय गजट में प्रकाशन कराने हेतु की गई संस्तुति के क्रम में उक्त उपविधि को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

उप-नियम

1–यह उपविधि जिला पंचायत, श्रावस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लाइसेन्स शुल्क से सम्बंधित उपविधि कहलायेगी।

2–यह उपविधि जिला पंचायत, श्रावस्ती के समस्तग्रामीण अंचल में क्रियाशील अथवा भविष्य में स्थापित होने वाले उद्योगों को नियंत्रित करेगी। ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार होगा।

3–कोई व्यक्ति जिला पंचायत, श्रावस्ती के क्षेत्राधिकार में बिना लाइसेन्स प्राप्त किए किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेगा।

4–ईंट भट्ठा को छोड़कर समस्त उद्योगों की लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष की होगी जो कि दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। ईंट भट्ठा की लाइसेन्स अवधि 01 अक्टूबर, से 30 सितम्बर, तक होगी।

5–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रावस्ती लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

6–लाइसेन्स का नवीनीकरण प्रत्येक दशा में 01 अप्रैल से 31 मार्च तक कराना होगा। 30 अप्रैल के बाद लाइसेन्स का नवीनीकरण कराने पर निर्धारित लाइसेन्स शुल्क का 02 प्रतिशत् विलम्ब शुल्क प्रतिमाह की दर से देय होगा।

7–कोई भी व्यवसाय करने से 15 दिन पहले जिला पंचायत से लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा।

8–लाइसेन्सधारी द्वारा उपविधि की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा लाइसेन्स को स्थगित या निरस्त किया जा सकता है। अपर मुख्य अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अध्यक्ष जिला पंचायत के पास अपील किया जा सकेगा जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9–विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लाइसेंस शुल्क की दरें निम्नवत हैं–

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	शासन द्वारा संशोधित निर्धारित दर
1	2	3
		रु0
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3	क्रेशर नान हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4	क्रेशर नान हाईड्रालिक नान सल्फीटेशन	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10	एक्सपेलर	500.00

1	2	3
		रु0
11	आरा मशीन	2,000.00
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम का कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20	पेपरकोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन तक क्षमता तक)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लाण्ट	8,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	10,000.00
32	फल सब्जिया एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता पर)	15,000.00

1	2	3
		रु0
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लाण्ट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन टार्लल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन टार्लल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल, एल्मूनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइन्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने बनाने का कारखाना	4,000.00
43	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00
46	प्लास्टिक का पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10,000.00
51	फ्लोर मिल	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्स्ड, सीमेन्ट कंक्रीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00

1	2	3
		रु0
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	5,000.00
62	प्लाईवुड या माईका बनाने का कारखाना	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग का कारखाना	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
68	डबलरोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
71	वेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00
74	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00

1	2	3
		रु0
80	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	7,000.00
81	पट्टा बनाने बनाने का कारखाना	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	7,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
86	आतिशबाज सम्बन्धी समान बनाने का कारखाना	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	4,000.00
98	आटो मोटर्स बानाने का कारखाना	5,000.00
99	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5,000.00
102	हड्डी मिल	25,000.00

1	2	3
		रु0
103	सरेश मिल	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	4,000.00
105	डीजल मिल	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00
108	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
109	सिनेमा हाल	4,000.00
110	विडियो सिनेमा हाल	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
113	रेडिमेड गारमेन्ट्स का कारखाना	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
116	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
118	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
119	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
121	पिपरमिन्ट बनाने का कारखाना	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	25,000.00
123	जैविक कारखाना	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्टा (20 पाये तक)	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईंट भट्टा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
126	स्टोन क्रेशर	15,000.00

वर्तमान में जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में संचालित उपरोक्त सूची के उद्योगों से अतिरिक्त भविष्य में संचालित होने वाले उद्योगों की लाईसेंस फीस निम्नवत निर्धारित की जा सकेगी–

क्र0सं0	मद / व्यवसाय का नाम / कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क
1	2	3
		रु0
1	सूक्ष्म / कुटीर उद्योग (माइक्रो) (लागत 25 लाख तक)	1,000.00 से 5,000.00
2	लघु उद्योग (स्माल) (लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00
3	मध्यम उद्योग (मिडियम) (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00 से 50,000.00
4	भारी उद्योग(हैवी) (लागत 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित अधिनियम, 1994 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, श्रावस्ती निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम का उल्लंघन करने पर उल्लघंनकर्ता का दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा दोष सिद्ध के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, रुपये 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड न अदा करने पर विधिक कार्यवाही कर तीन माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

योगेश्वर राम मिश्र,
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर

भवन निर्माण उपविधि

शुद्धि-पत्र

19 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 751 / जि0पं0 सिद्धार्थनगर / 2023-24–राजपत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2023 के भाग-3 में कार्यालय जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर की भवन निर्माण उपविधि, 2022 अधिसूचना संख्या 1537 / तेईस–02(2023-24), दिनांक 05 सितम्बर, 2023 का प्रकाशन हुआ है, जिसमें अखिलेश सिंह, आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती के हस्ताक्षर की जगह शीतल सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर मुद्रित हो गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। शीतल सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के स्थान पर अखिलेश सिंह, आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती पढ़ा व समझा जाये।

लालता प्रसाद वर्मा,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग 3–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 13, 1945 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 11 मई, 2023 ई0 / वैशाख 21, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/कन्नौज/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 197-तिर्वा विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 197-तिर्वा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेंद्र कुमार जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 197-तिर्वा से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राजेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राजेंद्र कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज द्वारा अपने दिनांक 31 जनवरी, 2023 के पत्र संख्या 46/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 91/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजेंद्र कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजेंद्र कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।''

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 197-तिर्वा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राजेंद्र कुमार निवासी ग्राम–नगरिया धन सिंह, पोस्ट–सलेमपुर रैपालपुर पर सौरिख, जिला–कन्नौज, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *11th May, 2023* / *21st Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Kannauj/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 197-Tirwa Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 197-Tirwa Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 10th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Kannauj, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Rajendra Kumar, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 197-Tirwa Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kannauj, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 29th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Rajendra Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 29th November, 2022, Shri Rajendra Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 5th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kannauj, *vide* its letter no. 46/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 dated 31st January, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kannauj in his Supplementary Report, *vide* its letter 46/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय-वि0स0-2022) लेखा संवीक्षा रिपोर्ट-वि0स0सा0नि0-2022 dated 14th March, 2023 has reported that Shri Rajendra Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Rajendra Kumar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Rajendra Kumar resident of Gram-Nagariya Dhan Singh, Post-Salempur Repalpur Pr. Sourikh, Dist.-Kannauj, a contesting candidate from 197-Tirwa Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2023 ई0 / वैशाख 20, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आगरा/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 86-एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 86-एत्मादपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 12 व 13 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री शैलेन्द्रपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 86-एत्मादपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शैलेन्द्रपाल सिंह को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शैलेन्द्रपाल सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा अपने दिनांक 23 जनवरी, 2023 के पत्र संख्या 2506/नि0का0 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 02 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 2655/नि0का0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शैलेन्द्रपाल सिंह ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शैलेन्द्रपाल सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।''

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 86-एत्मादपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री शैलेन्द्रपाल सिंह निवासी म0सं0 24/88बी, बजीरपुरा, आगरा को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *10th May, 2023* / *20th Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Agra/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 86-Etmadpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 86-Etmadpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 12th & 13th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Agra, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Shailendrapal Singh, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 86-Etmadpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Agra, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 19th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Shailendrapal Singh for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 19th December, 2022, Shri Shailendrapal Singh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 2nd January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Agra, *vide* its letter no. 2506 / नि0का0; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Agra in his Supplementary Report, *vide* its letter 2655 / नि0का0 dated 17th March, 2023 has reported that Shri Shailendrapal Singh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Shailendrapal Singh has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Shailendrapal Singh resident of H.No. 24/88B, Wazirpura, Agra a contesting candidate from 86-Etmadpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2023 ई0 / वैशाख 20, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/भदोही/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 392-भदोही विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 392-भदोही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भदोही, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री श्याम पाल, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 392-भदोही से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भदोही, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री श्याम पाल, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री श्याम पाल, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भदोही द्वारा अपने दिनांक 24 जनवरी, 2023 के पत्र संख्या 3097/निर्वाचन-29-37/2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, भदोही द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 3170/निर्वाचन-29-37/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई आगे की संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री श्याम पाल, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री श्याम पाल, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 392-भदोही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री श्याम पाल, निवासी 555क/183, कनौसी मानक नगर, लखनऊ, पिन-226011 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *10th May, 2023* / *20th Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Bhadohi/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 392-Bhadohi Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 99/61-2022 dated 10th February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 392-Bhadohi Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Bhadohi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Shri Shyam Pal, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 392-Bhadohi Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bhadohi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 18th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Shyam Pal for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 18th November, 2022, Shri Shyam Pal was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 31st December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Bhadohi, *vide* its letter no. 3097/Nirvachan-29-37/2022, dated 24th January, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Bhadohi in his Supplementary Report, *vide* its letter 3170/Nirvachan-29-37/2022 dated 16th March, 2023 has reported that Shri Shyam Pal has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Shyam Pal has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Shyam Pal resident of 555K/183, Kanousi Manak Nagar, Lucknow, Pin-226011 a contesting candidate from 392-Bhadohi Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 09 मई, 2023 ई0 / वैशाख 19, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/खीरी/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 140-श्रीनगर (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-68/61-2022 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 140-श्रीनगर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रशान्त राजवंश रानू, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 140-श्रीनगर (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री प्रशान्त राजवंश रानू, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री प्रशान्त राजवंश रानू, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी द्वारा अपने दिनांक 14 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 666/वि0स0सा0नि0-व्यय लेखा/2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 727/वि0स0सा0नि0-व्यय लेखा/2022-संवीक्षा रिपोर्ट के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री प्रशान्त राजवंश रानू, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रशान्त राजवंश रानू, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 140-श्रीनगर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रशान्त राजवंश रानू, निवासी म0नं0 473, मो0 हाथीपुर उत्तरी पोस्ट-मिंदनिया, निघासन रोड, लखीमपुर-खीरी को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *09th May, 2023* / *19th Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Kheri/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 140-Sri Nagar (SC) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 140-Sri Nagar (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Kheri, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Shri Prashant Rajwansh Ranu, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 140-Sri Nagar (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Kheri, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 29th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Prashant Rajwansh Ranu for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 29th November, 2022, Shri Prashant Rajwansh Ranu was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 13st December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kheri, *vide* its letter no. 666 / वि0स0सा0नि0-व्यय लेखा / 2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kheri in his Supplementary Report, *vide* its letter 727 / वि0स0सा0नि0-व्यय लेखा / 2022-संवीक्षा रिपोर्ट dated 23rd March, 2023 has reported that Shri Prashant Rajwansh Ranu has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Prashant Rajwansh Ranu has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Prashant Rajwansh Ranu resident of House No. 473, Moh. Hathipur Uttari, Post-Midaniya, Nighasan Road, Lakhimpur Kheri a contesting candidate from 140-Sri Nagar (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 09 मई, 2023 ई0 / वैशाख 19, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बांदा/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 233-बबेरू विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-68/61-2022 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 233-बबेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बांदा, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री जयपाल, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 233-बबेरू से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बांदा, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री जयपाल, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री जयपाल, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बांदा द्वारा अपने दिनांक 16 मार्च, 2023 के पत्र संख्या निर्वाचन(वि0स0-नि0व्यय लेखा)/2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2023 के पत्र संख्या निर्वाचन(वि0स0-नि0व्यय लेखा)/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री जयपाल, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जयपाल, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 233-बबेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जयपाल, निवासी ग्राम-सेरसा, पोस्ट-सेरसा, जिला-मथुरा, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *09th May, 2023* / *19th Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Banda/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 233-Baberu Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 233-Baberu Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Banda, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Shri Jaypal, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 233-Baberu Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Banda, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 11th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Jaypal for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 11th November, 2022, Shri Jaypal was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 31st December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Banda, *vide* its letter no. निर्वाचन(वि0स0-नि0व्यय लेखा)/2022 dated 16th March, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Banda in his Supplementary Report, *vide* its letter निर्वाचन(वि0स0-नि0व्यय लेखा)/2022 dated 16th March, 2023 has reported that Shri Jaypal has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Jaypal has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Jaypal resident of Gram-Sersha, Po.-Sersha, Jila-Mathura, a contesting candidate from 233-Baberu Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–661 निर्वाचन–01.11.2023–125 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 नवम्बर, 2023 ई० (कार्तिक 13, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, उरई, जनपद जालौन (उ0प्र0)

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 562(2023-24)–उरई, नगर पालिका परिषद–उरई (जालौन) द्वारा उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग के विभिन्न कार्य–क्षेत्रों से परिपूर्ण व्यापक तौर पर प्रतिपादित 'सार्वजनिक-निजी-सहभागिता' (पी0पी0पी0) उपविधि सम्बन्धी दिशा निर्देशों के दायरे में, नगरपालिका परिषद, उरई (जालौन) की सीमा के अन्तर्गत 'सार्वजनिक-निजी-सहभागिता' (पी0पी0पी0) आधारित व्यवसायिक केन्द्रों/दुकानों के निर्माण व आवंटन के निमित्त अधोवर्णित ''पी0पी0पी0 माडल आधारित व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों के निर्माण एवं आवंटन नियमावली, 2017'' बनाई गई है। यह नियमावली, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 की धारा-298 में निहित सूची-1 (एक) की उपविधि-'झ' के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाई गई है; जो कि सरकारी/राजकीय गजट में प्रकाशन के साथ प्रभावी होगी। उक्त नियमावली का प्रकाशन उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301(1) के अन्तर्गत दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक कर्मयुग प्रकाश'' में दिनांक 26 सितम्बर, 2017, तथा दैनिक समाचार-पत्र ''हिन्दुस्तान'' में दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित करके अगले 07 कार्य दिवसों में ऐच्छिक सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। परन्तु उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी सुझाव व आपत्ति प्राप्त न होने के कारण प्रश्नगत अधोलिखित 'नियमावली, 2017' का प्रकाशन किया जाता है।

''पी0पी0पी0 (सार्वजनिक-निजी-सहभागिता) मॉडल आधारित

व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों के निर्माण व आवंटन नियमावली, 2017''

1–**संक्षिप्त नाम, अर्थ, परिभाषा एवं प्रारम्भ-(क)** प्रस्तुत नियमावली नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थानीय निकायों/अधिकरणों, में शासकीय/प्रशासकीय अभिकरणों से इतर निजी स्रोतों अर्थात् विकासकर्ताओं/बिल्डर्स की सहभागिता द्वारा आधारभूत निर्माण-परियोजनाओं में पूर्णतया/अंशरूपेण निजी वित्त-पोषित

निर्माण-कार्य हेतु निर्धारित नीति-संरचना के तहत, नगर पालिका परिषद-उरई (जालौन) द्वारा अपने अधिकृत भू-खण्डों/भवनों पर नियमानुसार निर्माण/विकास-कार्य हेतु 'सार्वजनिक-निजी-सहभागिता' (Public-Private-Partnership) अर्थात 'पी0पी0पी0' के आधार पर ड्राफ्ट (पृष्ठांकित) की गई है।

(ख) इस नियमावली में –

(1) अग्रिम प्रस्तरों में वर्णित 'निकाय' शब्द से तात्पर्य, ''नगर पालिका परिषद-उरई, जनपद-जालौन, उ0प्र0'' से है।

(2) अग्रिम प्रस्तरों में वर्णित 'पी0पी0पी0' का तात्पर्य, 'सार्वजनिक-निजी-सहभागिता' से है।

(3) 'नियमावली, 2017' का तात्पर्य, 'पी0पी0पी0 मॉडल आधारित-व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों के निर्माण एवं आवंटन नियमावली, 2017' से है।

(4) 'निकाय की बैठक' का तात्पर्य, 'नगर पालिका परिषद्-उरई (जालौन) की बोर्ड बैठक' से है।

(5) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य, 'नगर पालिका परिषद-उरई (जालौन) के अध्यक्ष' से है।

(6) 'अधिशासी अधिकारी' से तात्पर्य, 'नगर पालिका परिशद-उरई (जालौन) के अधिशासी अधिकारी' से है।

(7) 'बिल्डर' से तात्पर्य, 'नियमावली, 2017 के अन्तर्गत कार्य करने वाली अधिकृत 'निर्माण-फर्म' एवं उसके स्वामी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (पार्टनर अथवा मैनेजिंग बोर्ड सदस्य) से है।

2–इस 'नियमावली, 2017' के निर्देशक उपबन्धों का उद्देश्य निकाय से सम्बन्धित पूर्णरूपेण/अंशभागी स्ववित्त पोषित पी0पी0पी0 योजनाओं में निजी विकासकर्ताओं/बिल्डर्स के नियमानुसार चयन, अनुबन्ध-संपादन, निर्माण-पर्यवेक्षण एवं निर्मित संपत्ति के निस्तारण/आवंटन आदि प्रक्रियाओं के निष्पादन से सम्बन्धित है। साथ ही, यह नियमावली एकमात्र 'निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण पद्वति' (BOT) पर आधारित है; जिसमें उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार, निजी विकासकर्ता/बिल्डर्स के हितों का संरक्षण अनुमन्य होगा।

3–पी0पी0पी0 योजना के सम्बन्ध में, प्रस्तुत-प्रस्ताव/स्वतः संज्ञानित-प्रस्ताव (TOR) का अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक अनुरक्षण किये जाने के पश्चात इसे निकाय की बैठक में नीतिगत तौर पर स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा अथवा, निकाय की बैठक में सदस्यों द्वारा अन्य प्रस्ताव रूप में शामिल करके, उस पर स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय लिया जायेगा।

4–स्वीकृत निर्माण-योजना को; निकाय द्वारा पारित दिशा–निर्देशों के तहत अंशरूपेण/पूर्णतया निजी वित्त पोषित तय होने के उपरान्त 'निर्माण-अनुबन्ध' (Builder's Agreement) के अन्तर्गत निजी बिल्डर्स द्वारा कराया जाना अपेक्षित है। निर्माण कार्य संबन्धी मानक लोक निर्माण विभाग (उ0प्र0) की विशिष्टियों पर आधारित रहेंगे।

5–उक्त स्वीकृत निर्माण योजना के अंशरूपेण वित्त पोषित होने की स्थिति में, निकाय प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य हेतु डी0पी0आर0 (Detailed Project Report) तैयार की जायेगी, ताकि निकाय द्वारा वहन किया जाने वाला वित्तीय भार स्पष्ट आंकलित हो सके; तदुपरान्त इस डी0पी0आर0 को निकाय की बैठक में स्वीकृत कराया जाना अपरिहार्य होगा।

6–स्वीकृत निर्माण-योजना के पूर्णरूपेण निजी वित्त पोषित होने की स्थिति में उपरोक्त प्रस्तर-5 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, क्योंकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार का वित्तीय प्रभार निकाय पर नहीं होगा; तथापि 'निकाय' द्वारा निर्माण-योजना से सम्बन्धित अनुमानित व्यय आकंलन (स्टीमेट) बनाया जायेगा। सम्बन्धित निर्माण-योजना में न्यायिक, शासकीय व प्रशासकीय तथा निर्माण–स्थल सम्बन्धी विवादों के, 'कारण', उत्पन्न होने पर और इनके चलते निर्माण-कार्य के लगातार 6 माह तक बाधित होने की स्थिति में, तत्समय तक बिल्डर द्वारा किये गये ऐसे निर्माण, जिसका निस्तारण न हो पाया हो, का आंकलन अग्रिम प्रस्तर-22 के परिप्रेक्ष्य में बिल्डर द्वारा स्वयं करके 'निकाय' प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। आवश्यकता होने पर यह आंकलन बिल्डर एंव निकाय की निर्माण इकाई द्वारा संयुक्त रूप से लोक निर्माण विभाग (उ0प्र0) की विशिष्टियों के अनुसार करके, आंकलित धनराशि का भुगतान निकाय द्वारा

सम्बन्धित अनुबन्धित-बिल्डर के पक्ष में इस प्रतिबन्ध के साथ करना होगा कि, भुगतान की गई इस आंकलित राशि को बिल्डर द्वारा सम्बन्धित योजना की आगामी प्रथम-नीलामी/बोली प्रक्रिया के पूर्व निकाय कोष में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रश्नगत आंकलन एंव भुगतान सम्बन्धी इस कार्यवाही का निस्तारण, उक्त 6 माह की बाधित अवधि-उपरान्त बिल्डर द्वारा अपना आंकलन प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर सुनिश्चित कर दिया जायेगा।

7–प्रस्तर-5 अथवा प्रस्तर-6 में निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त, स्वीकृत निर्माण योजना हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक तौर पर 'पी0पी0पी0' माडल आधारित सम्पूर्ण 'निर्माण-प्रस्ताव' (EOI), निकाय की ओर से न्यूनतम 21 दिन की समयावधि हेतु; ई-टेंडरिंग/न्यूनतम दो स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर, विभिन्न नोटिस बोर्डों पर 'प्रस्ताव-आमन्त्रण सूचना' (RFP) चस्पा करके आदि-इत्यादि माध्यमों से आमन्त्रित किये जायेंगे। इनमें उल्लिखित की जाने वाली अहर्ता सम्बन्धी शर्तों व प्राविधानों (RFQ) का अनुपालन, आमन्त्रण में भाग लेने वाले बिल्डर्स के लिये अनिवार्य लागू होगा।

8–आमन्त्रित–प्रस्तावों को जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी-स्थानीय निकाय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के सामने अथवा तत्समय निर्धारित प्रक्रिया/नीति के अनुसार खोला जायेगा तथा सभी प्रस्तावों पर सम्बन्धित अधिकारी की लिखित उपस्थिति/टिप्पणी दर्ज होगी। प्रत्येक (EOI) में निर्माण फर्म की ई-रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अहर्ता के पूरा होने पर ही, उसके शेष प्रस्तावों को संज्ञान में लिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में, सम्बन्धित प्रस्ताव निरस्त माना जायेगा।

9–आमन्त्रित प्रस्तावों की एक तुलनात्मक-तालिका बनाकर सम्पूर्ण आधारों के साथ, पालिका हित के सर्वाधिक अनुकूल प्रस्ताव के प्रदाता बिल्डर का नाम अंतिम तौर पर स्वीकृत किया जायेगा तथा आवश्यकता होने पर निगोशियेसन की प्रक्रिया भी संपादित की जायेगी। तुलनात्मक–तालिका पर 'निकाय' के अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रश्नगत निर्माण–अनुबन्ध का नियमानुसार सम्पादन करना उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा। अन्यथा की स्थिति में जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी-स्थानीय निकाय को मामला सन्दर्भित किया जा सकेगा तथा इस हेतु उनका निर्णय अन्तिम होगा। निर्माण-अनुबन्ध के सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-96 एवं 97 पूर्णरूपेण प्रभावी होगी।

10–उपरोक्त वर्णित तुलनात्मक-प्रपत्र पर निकाय के अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर होने के पूर्व, किसी भी स्तर पर सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित करने एवं निरस्त करने का अधिकार, निकाय अध्यक्ष के अनुमोदन पर अधिशासी अधिकारी में निहित रहेगा। इसके पश्चात, उक्त स्थगन/निरस्तीकरण पर सम्बन्धित जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी-स्थानीय निकाय की सहमति लिया जाना अनिवार्य रहेगा।

11–'पी0पी0पी0 माडल' पर आधारित, स्वीकृत निर्माण-योजना में आमन्त्रित प्रस्तावों, में अंतिम स्वीकृत-प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार्यादेश, निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। साथ ही, निर्माण-योजना की प्रगति एवं गुणवत्ता-स्थापना सम्बन्धी अधिकार अधिशासी अधिकारी में इस उपबन्ध के तहत निहित होंगे कि निर्माण-गुणवत्ता परखने सम्बन्धी कार्यवाही का सम्पादन, निकाय से इतर किसी अन्य ऐसे प्रशासकीय अभिकरण/विभाग द्वारा किया जायेगा, जो कि अध्यक्ष के अनुमोदन सहित अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत होगा।

12–'बिल्डर्स' से तात्पर्य, ऐसी निर्माण-फर्म/कम्पनी से है जिसके पास केन्द्र एवं राज्य सरकार/सरकारों के अधीनस्थ विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ पी0पी0पी0 मॉडल आधारित निर्माण-अनुबन्ध (Builder's Agreement) के अन्तर्गत न्यूनतम द्विवर्षीय व्यावसायिक भवनों के निर्माण सम्बन्धी अनुभव निम्नांकित प्रस्तर-14 के अनुरूप अनिवार्य रूप से हो वास्तुकला एवं अभियन्त्रण का व्यवहारिक ज्ञान हो तथा निर्माण कार्य कराने हेतु कुशल श्रमिक समेत आधारभूत ढांचा स्थापित हो।

13–पूर्णरूपेण निजी वित्तपोशित निर्माण योजनाओं हेतु स्वीकृत/अधिकृत बिल्डर्स को, व्यावसायिक केन्द्र/दुकानों के निर्माण में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन अपने निजी संसाधनों से करना होगा, जिसकी अदायगी/देयता का निर्धारण 'निकाय' के प्रति सिवाय उपरोक्त वर्णित प्रस्तर-5 अथवा प्रस्तर-6 के, कदापि नहीं, होगा।

14–निर्माण-फर्म/कम्पनी, से सम्बद्ध स्वामी/न्यूनतम एक पार्टनर अथवा एक मैनेजिंग बोर्ड सदस्य, को ऐसे दस्तावेज (कार्यादेश आदि) मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे; जो यह प्रमाणित करें कि उनके पास उपरोक्त प्रस्तर-12 में उल्लिखित अनुभव एवं योग्यता विद्यमान है, भले ही उक्त (जनों) की अनुभव एवं योग्यता सम्बन्धी प्रश्नगत अहर्ता किसी अन्य निर्माण-फर्म/कम्पनी के स्वामी/पार्टनर या मैनेजिंग-बोर्ड के सदस्य रूप में रही हो। दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा सकेगा। सत्यापन में विफल रहने पर सम्बन्धित फर्म को जारी कार्यादेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा तथा फर्म/कम्पनी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

15–'निकाय' के निर्णय एवं स्वीकृति के उपरान्त विशयगत निर्माण हेतु कार्यादेश जारी होने के उपरान्त भौतिक कब्जा प्रदान करने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष एंव अधिकतम 3 वर्ष (जैसा अनुबन्ध में दर्शाया जाये) की समयावधि में, प्रत्येक दशा में सम्बन्धित बिल्डर को व्यावसायिक केन्द्र/दुकानों का निर्माण-कार्य पूर्ण करना होगा।

16–किन्हीं अपरिहार्य कारणों के चलते, यदि बिल्डर्स द्वारा निर्माण कार्य, अनुबन्ध-पत्र में उल्लिखित तय समय–सीमा में पूर्ण नहीं कराया जा सकेगा, तो ऐसी स्थिति में उसके लिखित प्रत्यावेदन पर 'निकाय' के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी में से न्यूनतम एक द्वारा संतुष्ट होने पर निर्माण-समयावृद्धि का अवसर बिल्डर्स के पक्ष में प्रदान किया जा सकेगा। आवश्यकता होने पर इसके पश्चात की समयावृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही 'निकाय-बोर्ड' द्वारा ही बहुमत से निर्धारित की जा सकेगी।

17–न्यायिक, शासकीय, प्रशासकीय एवं निर्माण स्थल से जुड़े विवाद के चलते विभिन्न अवरोधों/कारणों के उत्पन्न होने पर उक्त प्रस्तर '15' व '16' से जुड़े समयावधि सम्बन्धी प्रतिबन्ध बिल्डर्स पर लागू नहीं होंगे तथा इन अवरोधों/कारणों के उत्पन्न होने से लेकर उनका निराकरण होने तक का समयान्तराल, निर्माण-समयावधि के अतिरिक्त माना जायेगा।

18–बिल्डर, जिसके पक्ष में निर्माण-अनुबन्ध पश्चात् कार्यादेश निर्गत होगा; उसके लिए अनिवार्य होगा कि कार्यादेश जारी होने के पश्चात 'निकाय' द्वारा निर्माण-स्थल पर भौतिक कब्जा प्रदान कराये जाने पर एक माह की अवधि के अन्दर निर्माण कार्य आरम्भ कर दे। 'निकाय' प्रशासन द्वारा निर्माण स्थल की अस्थायी घेराबन्दी (तार फेन्सिंग/चाहर दीवारी आदि) कराकर बिल्डर को मौके पर भौतिक कब्जा दिया जायेगा और ऐसा न हो पाने तक का समयान्तराल, उपरोक्त प्रस्तर-17 के अनुसार, निर्माण-अवधि के अतिरिक्त होगा; जिसका दायित्व 'निकाय' पर रहेगा।

19–व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों का निर्माण, 'निकाय' द्वारा स्वीकृत कराये गये वैधानिक प्लान (तलपट-मानचित्र) के आधार पर ही उसमें उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा। किन्हीं परिस्थितियों में व्यवहारिकतावश इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन 'निकाय' प्रशासन की सहमति पर ही नियमानुसार कराया जा सकेगा।

20–सन्दर्भित व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों एवं सम्बद्ध भू-खण्ड पर स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार 'निकाय' का ही रहेगा। इसमें बिल्डर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

21–भू-खण्ड की उपलब्धता एवं निर्मित व्यवसायिक केन्द्र हेतु विधुत संयोजन एंव अग्निशमन सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व को छोड़कर, प्रश्नगत निर्माण में किसी भी प्रकार का वित्तीय निवेश 'निकाय' को नहीं करना है बल्कि प्रस्तर–13 के अनुरूप बिल्डर द्वारा ही किया जाना है।

22–व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों की निर्माण-लागत के साथ-साथ समस्त शारीरिक/मानसिक श्रम का वहन भी बिल्डर द्वारा किया जाना है। निर्माण लागत के साथ ही पूँजी-ह्रास दर, बैंक ब्याज दर, स्थलीय विकास सम्बन्धी व्यय, कान्टीजेन्ट एवं विविध व्यय आदि-इत्यादि का समायोजन बिल्डर्स के पक्ष में प्रक्रियानुसार प्राप्त दुकानों की प्रीमियम राशि में से ही किया जाना अपेक्षित रहेगा। अर्थात, निर्माण-लागत में उक्त सभी दरें एवं व्यय अतिरिक्त रूप में समाहित होंगे।

23–प्रत्येक निर्माण-कार्य में तीन आवश्यक तत्व शामिल रहते हैं; यथा-भूमि, श्रम एव पूँजी प्रश्नगत मामले में 'भूमि' 'निकाय' के अन्तर्गत है तथा 'श्रम' व 'पूँजी' के फैक्टर्स बिल्डर्स/निवेशकर्ता के हैं। अतः इन परिस्थितियों में दुकानों की बोली/प्रीमियम से प्राप्त धनराशि का बंटवारा, बिल्डर व 'निकाय' के मध्य इस तथ्य को संज्ञान में रखकर

आपसी सहमति के अनुसार किया जायेगा कि बिल्डर्स को केवल एकमात्र रूप में प्रीमियम राशि का अंश-भाग, एक ही बार मिलना है; जबकि निर्मित भवन का सम्पूर्ण मालिकाना हक, प्रीमियम राशि का एक निर्धारित अंश तथा दुकानों से किरायेदारी रूप में होने वाली निश्चित एवं निरन्तर मासिक आय का सम्पूर्ण भांग 'निकाय' के पक्ष में सदैव रहना सुनिश्चित है।

24—अधिकृत बिल्डर्स व 'निकाय' प्रशासन की उभय सहमति के द्वारा तय की गई न्यूनतम प्रीमियम राशि से कम पर कोई भी दुकान आवंटित/नीलाम नहीं की जा सकेगी। निर्मित दुकानों के निस्तारण की प्रक्रिया, शासनादेश संख्या 1073 बी/11-5-14 (1)/78 दिनॉक 26 जून 1978 में उल्लेखित शासकीय विज्ञप्ति संख्या-2462 बी/11-5-55 (68)/70, दिनॉक 18 अक्टूबर, 1973 के अनुसार ही की जायेगी एंव इस सम्बन्ध में अन्य कोई शासनादेश निर्गत होने की दशा में तद्नुसार निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।

25—निर्मित/निर्माणाधीन दुकानों अथवा उनकी आंशिक संख्या (जैसा बिल्डर द्वारा प्रस्तावित हो) का निस्तारण; बिल्डर द्वारा अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप प्रत्यावेदित किये जाने पर, नीलामी सूचना का इश्तेहार/विज्ञापन, 'निकाय' के अधिशासी अधिकारी की तरफ से अनिवार्य रूप में एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक तौर पर विज्ञापित (समाचार-पत्रों व नोटिस बोर्ड आदि में) किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में, 'निकाय' प्रशासन को सूचित करते हुये बिल्डर द्वारा 'निकाय' का कार्यालय पत्रांक जारी कराकर नीलामी-सूचना सम्बन्धी इश्तेहार/विज्ञापन का प्रकाशन सार्वजनिक तौर पर स्वयं किया जाना अनुमन्य होगा। ऐसे कार्यालय पत्रांक को निकाय द्वारा तद्दिनांक में ही जारी किया जाना अनिवार्य होगा।

26—नीलामी/बोली की प्रक्रिया, 'निकाय' के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी में से न्यूनतम एक की उपस्थिति में बिल्डर द्वारा संपादित की जायेगी तथा नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत सार्वजनिक विज्ञापन में उल्लखित शर्तों व नियमों (जो कि बिल्डर्स एवं 'निकाय' प्रशासन की उभय सहमति से निर्धारित हों) के तहत तय मानकों को बोलीदाताओं द्वारा पूरा किये जाने पर सम्पन्न होने वाली नीलामी में, सर्वोच्च बोलीदाता का नाम सभी अनिवार्य तथ्यों समेत सम्बन्धित दुकान के सापेक्ष अन्तिम (Final) नीलामी-चार्ट पर अंकित किया जायेगा तथा नीलामी प्रक्रिया के समापन पर इस नीलामी-चार्ट को बिल्डर के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी में से न्यूनतम एक अथवा दोनों के द्वारा मय दिनॉक हस्ताक्षरित किया जायेगा। नीलामी-चार्ट बिल्डर की सुपुर्दगी में रहेंगें।

27—वांछनीय होने पर, बिल्डर्स द्वारा 'निकाय' प्रशासन को सूचित करते हुये, जिला प्रशासन को लिखित प्रत्यावेदन किये जाने की स्थिति में यह सम्पूर्ण नीलामी दायित्व जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी-स्थानीय निकाय द्वारा स्वंय अथवा उनके द्वारा अधिकृत मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की उपस्थिति में भी कराया जा सकेगा; जिसमें, 'निकाय' प्रशासन की उपस्थिति भी वांछनीय होगी। नीलामी प्रक्रिया सम्बन्धी आगामी प्रकियाओं हेतु जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अधिकारी में 'निकाय' की शक्तियों का समावेशन तब तक बना रहेगा, जब तक कि 'निकाय' प्रशासन एंव बिल्डर्स द्वारा नीलामी दायित्व की पूर्ति हेतु सामंजस्य स्थापित करके जिला प्रशासन को इस हेतु पृथक-पृथक सूचित नहीं किया जाता है।

28—बोलीदाताओं को नीलामी प्रक्रिया से सम्बद्ध सभी शर्तों व नियमों का पालन करना होगा, जैसा कि सार्वजनिक विज्ञापन में उल्लेखित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में, बोलीदाताओं के प्रति नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जवाबदेही किसी भी प्रकार से बिल्डर अथवा 'निकाय' की कदापि नहीं होगी।

29—बिल्डर द्वारा, बिल्डर्स-एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार, प्राप्त प्रीमियम राशि में से तयशुदा धनराशि प्रति दुकान का भुगतान 'निकाय' कोष में अंतिम बोलीदाता/आवंटी की ओर से कराये जाने के अतिरिक्त उक्त आवंटी के प्रति 'निकाय' के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को सम्बोधित दो प्रतियों में अपने अधिकृत आंवटन/अधिकार-पत्र (Authority Letter) जारी किये जाने पर ही 'निकाय' प्रशासन सम्बन्धित आवन्टी के साथ किरायेदारी—अनुबन्ध सम्पादित करेगा। अधिकार-पत्र में आवंटी के सापेक्ष आवंटित दुकान का सम्पूर्ण ब्यौरा अनिवार्य रूप में अंकित होगा तथा प्रत्येक दुकान का पृथक-पृथक अधिकार-पत्र व्यक्तिगत रूप से बिल्डर्स द्वारा 'निकाय' प्रशासन को सौंपा जायेगा।

30–प्रत्येक दुकान का मासिक किराया, 'निकाय' की बैठक में विद्यमान सर्किल रेट/गृहकर की व्यावसायिक दर के आधार पर ही निर्धारित किया जायेगा जिसमें बिल्डर्स की राय अनुमन्य नहीं होगी। इस किराया-राशि का सम्पूर्ण हक सदैव 'निकाय' का होगा।

31–निर्मित दुकानों का निस्तारण, प्रस्तर '15', '16' एवं '17' के अनुसार निर्धारित निर्माण–अवधि के अतिरिक्त अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर विल्डर्स द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में, 'निकाय' प्रशासन द्वारा, अधिकृत बिल्डर्स को पूर्व सूचित करते हुये स्वयं की ओर से आहूत नीलामी प्रक्रिया के द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-23 लगायत 30 के प्राविधानों के अनुसार ही दुकानों का निस्तारण किया जा सकेगा अथवा जैसा सामंजस्य बिल्डर्स एवं 'निकाय' प्रशासन के मध्य स्थापित हो सके; उसके अनुरूप निर्णय लागू होगा। नीलामी प्रक्रिया को निकाय द्वारा स्वंय कराये जाने की स्थिति में भी अधिकृत विल्डर के सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

32–आवंटियों को आवश्यक होगा कि स्वीकृत दुकानों में व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व व्यापार के किस्म की सूचना पहले देनी होगी। दुकानों में किसी भी प्रकार अवैधानिक कार्यकलापों/प्रतिबन्धित व्यापारिक गतिविधियों तथा अव्यवस्था फैलाने वाले व्यापार को करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

33–आवंटी को 'निकाय' से किराया-अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 05 वर्ष के पश्चात् 'निकाय' को 10 प्रतिशत किराया बढ़ाने का अधिकार होगा।

34–यदि किसी दुकान का आवंटी (दुकानदार)/किरायेदार प्रत्येक माह नियमित तौर पर किराया का भुगतान 'निकाय' कोष में नहीं करता है तो लगातार 06 माह का किराया बाकी होने पर उसे नोटिस दिया जाना वांछित होगा तथा अगले 01 माह में दो लगातार पाक्षिक नोटिसों के पश्चात् अन्तिम नोटिस के तहत प्रदत्त समय-सीमा की समाप्ति पर सम्बन्धित किरायेदार लायक बेदखली होगा।

35–किरायेदार का उपभोग अधिकार केवल सम्बन्धित तल का होगा। दुकान की ऊपर–नीचे की मंजिल/तल पर 'निकाय' अथवा उसके द्वारा अधिकृत आवंटी का अधिकार होगा। किरायेदार को अपने से सम्बन्धित तल के अतिरिक्त अन्य तल के सम्बन्ध में 'निकाय' के सार्वभौमिक अधिकार के सम्बन्ध में कोई उज्र व ऐतराज नहीं होगा।

36–किसी आवंटित दुकान के सम्बन्ध में प्रत्येक इकरारनामा 05 वर्ष अथवा इसके गुणांको की अवधि के लिये निष्पादित किया जायेगा। उसके प्रत्येक नवीनीकरण पर किरायेदारी में न्यूनतम 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी। साथ ही, उक्त इकरारनामा में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर नोटिस पश्चात् सम्बन्धित किरायेदार लायक बेदखली होगा।

37–किरायेदार की, किराये के अतिरिक्त अन्य निर्धारित वैधानिक करों को अदा करने की भी जिम्मेदारी होगी। साथ ही, शिकमी किरायेदारी व्यवस्था प्रतिबन्धित होगी। लेकिन किरायेदार की मृत्यु के पश्चात् वैधानिक उत्तराधिकार/उत्तराधिकारियों को सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार समान अधिकार की प्राप्ति होगी।

38–किरायेदार को किरायेदारी वाले भवन/दुकान में बिना 'निकाय' प्रशासन की वैधानिक लिखित सहमति के कोई तोड़फोड़ या संरचना में संशोधन आदि का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा उसे यह भी अधिकार न होगा कि अपनी किरायेदारी की दुकान के मौलिक रूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करें।

39–गजट उपरान्त 'नियमावली, 2017' का प्रस्तुत प्रारूप तब तक अपरिवर्तनीय रहेगा, जब तक कि अन्य कोई न्यायिक/शासकीय दिशा निर्देश ज्ञापित न हों अथवा, निकाय की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से ऐसा किया जाना पारित करके इस हेतु जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी-स्थानीय निकाय की लिखित अनुमति प्राप्त हो। साथ ही, पुनः गजट प्रक्रिया भी सम्पन्न न हो जाये।

इस प्रकार, प्रस्तुत उक्त 'नियमावली, 2017' के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित कुल प्रस्तरों की संख्या '01' लगायत '39' है।

गिरजा चौधरी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, उरई,
जनपद जालौन (उ0प्र0)।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सूजल केशरवानी पुत्र धनराज है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार मैने अपने पुत्र का नाम सूजल केशरवानी से बदलकर आदित्य केशरवानी रख लिया है। भविष्य में आदित्य केशरवानी पुत्र धनराज के नाम से जाना व पहचाना जाये।

धनराज पुत्र राजेन्द्र केशरवानी,
पता- सैदाबाद तह0 हंडिया प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भारत नगर हाउसिंग पंजीकृत कार्यालय 2/27, सेठ गली, आगरा 282003 जिसकी पंजीकरण सं0 एजी-16047 है। यह फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत आगरा से पंजीकृत है। अभी तक फर्म में तीन साझेदार क्रमशः श्रीमती हीरा देवी, श्री मून गोयल और श्री शोभिक गोयल थे। जिसमें से श्रीमती हीरा देवी का निधन दिनांक 01 मई, 2021 को हो गया था। फर्म का नया भागीदारी विलेख दिनांक 01 मई, 2021 को लिखा गया है जिसमें श्री अशोक कुमार गोयल नये साझेदार है। वर्तमान में श्री अशोक कुमार गोयल, श्री मून गोयल और श्री शोभिक गोयल फर्म के साझेदार है।

साझेदार
शोभिक गोयल,
मैसर्स भारत नगर हाउसिंग,
जिला आगारा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मनु देव कान्ट्रैक्टर, 467-सी0 साउथ सिविल लाईन मुजफ्फरनगर का पंजीकरण सहायक निबन्धक कार्यालय फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को हुआ था। पंजीकरण के समय फर्म में 1-मनु देव पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी 467 सी0 साउथ सिविल लाईन मुजफ्फरनगर 2-अशोक कुमार पुत्र बोहर सिंह निवासी 510 नार्थ सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर साझीदार थे। दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को फर्म से अशोक कुमार पुत्र बोहर सिंह निवासी 510 नार्थ सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर भागीदार फर्म से अपना हिसाब-किताब चुकता करके रिटायर हो गया है तथा दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को ही उसके स्थान पर अजय कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी जमालपुर, पोस्ट मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर अपने हिस्से की धनराशि देकर फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गया है। वर्तमान में फर्म में 1-मनु देव व 2-अजय कुमार साझीदार है। उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी व चिट्स, रेलवे रोड, सहारनपुर परिक्षेत्र रेलवे रोड़ के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि मिल जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय उक्त द्वारा भागीदारी अधिनियम-1932 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

मनु देव,
साझीदार

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मै0 हरी पर्ल हाईट्स, एफ-12 विक्रम कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि दिनांक 20 जनवरी, 2022 को फर्म के भागीदार श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री रामचरन शर्मा निवासी-19/139 गोपालपुरी नियर डी0पी0एस0 सिटी ऑफिस अलीगढ तथा दिनांक- 15 जून, 2023 को श्री महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री जुगेन्द्रपाल सिंह निवासी-ग्राम पोस्ट पैराई गभाना, अलीगढ अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म की साझेदारी से अलग हो गये हैं अब फर्म में श्री भगवान सिंह, श्री विजय कुमार सिंह, श्री हरीश कुमार सिंह, श्री पवन प्रताप सिंह तथा श्री रोबिन सिंह भागीदार हैं।

भगवान सिंह,
भागीदार,
मै0 हरी पर्ल हाईटस,
एफ-12 विक्रम कॉलोनी,
रामघाट रोड, अलीगढ-202001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फ्यूचर फूड्स पता 707 सिविल लाईन्स साकेत रोड नियर मनोरंजन पार्क जिला मेरठ उत्तर प्रदेश की पाटनरर्सशिप 11 जुलाई, 2014 को हुई थी जिसमें हम क्रम से दो पार्टनर थे 1 श्री अरूण बंसल पुत्र श्री महेश प्रकाश बंसल 2 श्री अनुज बंसल पुत्र श्री महेश प्रकाश बंसल थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 की साझेदारी के अनुसार साझेदार 1-श्री अरूण बंसल पुत्र श्री महेश प्रकाश बंसल स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये है तथा इनका फर्म से कोई लेना-देना बकाया नही है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को नये साझेदार श्री अपार

बंसल पुत्र श्री अनुज बंसल स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आये है। तथा अब इस फर्म में अब क्रम से दो पार्टनर हो गये है। 1-श्री अनुज बंसल पुत्र श्री महेश प्रकाश बंसल 2 श्री अपार बंसल पुत्र श्री अनुज बंसल हो गये है। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 की साझीदारी के अनुसार फर्म का पता 707 सिविल लाईन्स साकेत रोड नियर मनोरंजन पार्क जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से बदल कर खसरा नं0 381 एण्ड 393 विलेज अच्छरोंदा गगोल रोड तहसील व जिला मेरठ उत्तर प्रदेश हो गया है।

अनुज बंसल,
साझेदार।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मै0 नौवल्टी ग्लास वर्क्स, 20 एस0एन0 मार्ग फरोजाबाद में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक 10 जून, 2022 को फर्म के द्वितीय भागीदार श्री रमाकान्त गुप्ता पुत्र श्री रामभरोसे लाल गुप्ता निवासी-14/3 विभव नगर, फीरोजाबाद उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा दिनांक 10 जून, 2022 को श्रीमती नेहा गुप्ता पत्नी श्री वत्सल गुप्ता निवासी-20 एस0एन0 मार्ग, फीरोजाबाद को उक्त फर्म में साझेदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री सुनील गुप्ता, श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री प्रमोद भान गुप्ता, श्रीमती नेहा गुप्ता तथा श्री राकेश चन्द्र गुप्ता भागीदार है।

सुनील गुप्ता,
भागीदार,
मै0 नौवल्टी ग्लास वर्क्स,
20,एस0 एन0 मार्ग, फीरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम भागीदार मो0 अनवार 79 दोदीपुर, प्रयागराज एवं रोहित कुमार 695/75 शिवकुटी, प्रयागराज ने पंजीकृत फर्म मे0 कबाना लाउंज एण्ड रेस्टोरेन्ट 126 पी0डी0 टण्डन रोड, सिविल लाइन, प्रयागराज का आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 को सर्वसहमति से विघटन कर दिया गया है। यह कि फर्म से सम्बन्धित सरकारी, अर्द्धसरकारी, वित्तीय अथवा बैंकिंग संस्थाओं एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार का लेनदेन तथा दायित्व शेष नहीं है। दोनों भागीदार उक्त फर्म के नाम से आज दिनांक के पश्चात् किसी भी प्रकार का व्यापारिक एवं सेवाकार्य नहीं कर सकेंगे।

मो0 अनवार,
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नन्दिता गोस्वामी पुत्री सदानन्द गोस्वामी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। शादी के बाद मैंने अपने नाम के साथ अपने पति की टाइटल राय लगाकर नन्दिता राय रख लिया। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5963 2124 2575 में मेरा नाम मण्डिता राय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे नन्दिता राय पत्नी असित कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाय। श्रीमती नन्दिता राय 253/10 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद/प्रयागराज, उ0प्र0–211001।

नन्दिता राय।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 माधव इन्फ्राटेक, शाप नं0 8 बृज काम्पलैक्स, अपोजिट न्यू बस स्टैण्ड मथुरा उपरोक्त फर्म में श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद अग्रवाल, श्री कृष्णा दयाल अग्रवाल पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद अग्रवाल दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 15 फरवरी, 2003 को संचालन की थी। दिनांक 16 जून, 2018 से श्रीमती इन्द्रा अग्रवाल पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल नये साझेदार के रूप में शामिल हो गई हैं। दिनांक 16 जून, 2018 को श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद अग्रवाल जी की मृत्यु हो गयी है। दिनांक 07 फरवरी, 2023 से श्री राजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल, श्री अजय अग्रवाल पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं। दिनांक 07 फरवरी, 2023 को श्रीमती इन्द्रा अग्रवाल पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल की मृत्यु हो गयी है। अब फर्म को श्री राजय कुमार अग्रवाल, श्री अजय अग्रवाल, श्री कृष्णा दयाल अग्रवाल संचालित करेंगे।

श्री कृष्णा दयाल अग्रवाल,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सुशील कुमार श्रीवास्तव 808 सी बृद्धि आपार्टमेन्ट गैस गोदाम गली दिलेजाकपुर, गोरखपुर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 10 अप्रैल, 2015 से श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती सुमन श्रीवास्तव जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 G-4634 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के

साझेदारी डीड दिनांक 06 अप्रैल, 2023 से श्री शिवम श्रीवास्तव जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं तथा उक्त फर्म का नाम मेसर्स सुशील कुमार श्रीवास्तव से परिवर्तित कर मे0 शिवम कान्सट्रक्शन किया गया है। उक्त फर्म में क्रमशः श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती सुमन श्रीवास्तव एवं शिवम श्रीवास्तव जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

सुशील कुमार श्रीवास्तव,
साझेदार,
मे0 शिवम् कान्सट्रक्शन 808 सी बृद्धि आर्पाटमेन्ट गैस गोदाम गली दिलेजाकपुर, गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 राधा रानी कोल्ड स्टोरेज, शमसाबाद रोड, लखुरानी आगरा-283125 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 को श्री मोहित धाकरे पुत्र श्री संजय सिंह धाकरे निवासी-कुण्डौल आगरा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री सौरभ बंसल तथा श्रीमती पूनम बंसल साझेदार हैं।

सौरभ बंसल,
साझेदार,
मे0 राधा रानी कोल्ड स्टोरेज,
शमसाबाद रोड, लखुरानी आगरा–283125।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 डायमण्ड इण्डस्ट्रीज, बी-10, साइट-ए, सिकन्दरा, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक 10 मई, 1998 को श्रीमती अर्चना गोयल पत्नी श्री अमित गोयल निवासी-1, सरला बाग, आगरा का निधन हो चुका है। दिनांक 13 मई, 1998 को मे0 सुधीर गोयल एच0यू0एफ0 तथा मे0 अमित गोयल एच0यू0एफ0 को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है।

दिनांक 27 जनवरी, 2020 को श्रीमती शशी बाला गोयल पत्नी श्री सुधीर कुमार गोयल निवासी–1 सरला बाग, आगरा का निधन हो चुका है।

दिनांक 11 सितम्बर, 2023 को श्री शुभम गोयल पुत्र श्री अमित गोयल निवासी-सी-35 एन्थम पॉकेट–ए, सेक्टर-15 आवास विकास सिकन्दरा, आगरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक को ही फर्म के भागीदार श्री सुधीर कुमार गोयल पुत्र स्व0 रतन प्रकाश निवासी-1 सरला बाग आगरा एवं मे0 सुधीर गोयल एच0यू0एफ0 तथा मे0 अमित गोयल एच0यू0एफ0 फर्म की साझेदारी से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री अमित गोयल एवं श्री शुभम गोयल साझेदार हैं।

अमित गोयल,
साझेदार,
मे0 डायमण्ड इण्डस्ट्रीज,
बी-10, साइट-ए, सिकन्दरा, आगरा।

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।